Fourteenth Lok Sabha
XIII Session (25/02/2008 to 05/05/2008)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 25 फरवरी, 2008/6 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 277

अपराह्न 12.25 बजे

1. राष्ट्रीय गान

राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई।

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण-सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने वर्तमान सदस्य तथा ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री प्रकाश परांजपे; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री अलखा राम; सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री त्रिलोक चन्द; छठी लोक सभा के सदस्य डा॰ प्रताप चन्द्र चन्दर; चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री पी॰ गंगा रेड्डी; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री मोहम्मद महफ़ूज़ अली खान; सातवीं, आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री मनफूल सिंह चौधरी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने समाज सुधारक बाबा आम्टे तथा प्रसिद्ध पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी के निधन के बारे में भी उल्लेख किया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.39 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 26 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—453LS(S-5)—25-02-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 26 फरवरी, 2008/7 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 278

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **शपथ**

तीन सदस्यों ने हिन्दी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किए।

2. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—134 और 136—176 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 1)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 3)।

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 5 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4)।

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 5)।

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 7 फरवरी, 2008 को प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 6)।

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत नागालैण्ड राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी उद्घोषणा, जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 10(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 3 जनवरी, 2008 का आदेश, जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 11(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रपति को नागालैण्ड के राज्यपाल के दिनांक 13, 14, 16 और 17 दिसंबर, 2007 के रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 203(अ), जो 6 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 28 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति की कीमत निर्धारण नियम, 2005, जो

20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 638(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में आवास वित्त कार्यकलापों की पुनरीक्षा संबंधी प्रतिवेदन (2007 का संख्यांक 22) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2008 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपयुर्क्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **विधेयकों पर अनुमति**

महासचिव ने 19 नवम्बर, 2007 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2007;

(2) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2007;

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2007;

(4) भारतीय बायलर (संशोधन) विधेयक, 2007;

(5) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007;

(6) सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007;

(7) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2007; और

(8) सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007।

महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित, की प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं—

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007;

(2) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007;

(3) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2007;

(4) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007;

(5) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007;

(6) संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2007; और

(7) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007।

5. **संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष के विनिश्चय**

महासचिव ने संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अधीन निम्नलिखित तीन मामलों पर लोक सभा अध्यक्ष के 27 जनवरी, 2008 के विनिश्चयों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं:—

1. श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री मोहम्मद शाहिद अखलाक के विरुद्ध दी गई याचिका।
2. श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध दी गई याचिका।
3. श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत श्री भालचन्द्र यादव के विरुद्ध दी गई याचिका।

6. **श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री फुरकान अंसारी ने ''उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007'' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

7. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ने निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति;

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और

(तीन) 'प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा नौकरी छोड़ने के बारे में डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय और श्रीमती करूणा शुक्ला, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के संबंध में 14.8.2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

8. **चाय बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री जयराम रमेश ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1)(ख) और 5(1) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

9. **बजट (रेल)—2008-2009**

श्री लालू प्रसाद* ने रेल के संबंध में वर्ष 2008-2009 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

(सभा अपराह्न 2.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.03 बजे

10. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन द्वारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मुर्गीपालन उद्योग के लिए राहत उपाय घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री वी॰के॰ ठुम्मर द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ढांसा से जेतालसर तक मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा अलवर, राजस्थान में बहरोड़ में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा गुजरात में आकाशवाणी के हिम्मतनगर रेडियो स्टेशन को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा भारतीय तम्बाकू की खरीद पर रूस द्वारा लगाई गई रोक को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश के जालौन और कानपुर देहात जिलों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान के उन किसानों, जिनकी फसलें पाला और क्षेत्र में व्याप्त शीतलहर के कारण प्रभावित हुई हैं, को क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*मंत्री महोदय ने अपना भाषण पूरा करते समय बताया कि वे उन पैराओं को सभा पटल पर रख रहे हैं जिन्हें वे अपने भाषण के दौरान पढ़ नहीं सके। वे पैराग्राफ कार्यवाही का हिस्सा बन गए।

(8) श्री कीरेन रिजीजू द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते असम के आरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जुएल ओराम द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफइंडिया लिमिटेड में डिप्लोमाधारी इंजीनियरों की संवर्ग समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री श्रीचन्द कृपलानी द्वारा नई अफीम नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डा॰ के॰ एस॰ मनोज द्वारा मछुआरा ऋण राहत आयोग का गठन करके मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री हरि केवल प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मोहन सिंह द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार को केन्द्रीय पुल से विद्युत का पर्याप्त हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी करने के मानकों को शिथिल किए जाने और तिरूपत्तुर, तमिलनाडु में एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री इलियास आजमी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खेरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन सड़कों के निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री सदाशिवराव डी॰ मंडलिक द्वारा कोल्हापुर, महाराष्ट्र में एक ईएसआई अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री सिप्पीपाराई रविचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु में विरूधुनगर-मनमदुरै रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.04 बजे

11. **सांविधिक संकल्प—स्वीकृत**

लिया गया समय : 7 मिनट

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा नागालैण्ड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री कीरेन रिजीजू

(2) डा॰ टोकचोम मैन्या

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.12 बजे

(लोक सभा बुधवार, 27 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—500LS(S-5)—26-02-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 27 फरवरी, 2008/8 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 279

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 177—352 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2007 जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 658(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 733(अ) जो 28 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 23 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 603 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1930(अ) और का॰आ॰ 1931(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2082(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2133(अ) जो 14 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1925(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का॰आ॰ 1936(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 1886(अ) जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (धूबुरी-भुबन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. **विशेषाधिकार संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने विशेषाधिकार संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री संतोष गंगवार ने कार्य मंत्रणा समिति का 45वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.02 बजे

5. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री एल॰ राजगोपाल द्वारा देश में एड्स की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्राकृतिक गैस भण्डारों का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा अफीम प्रसंस्करण उद्योग में निजी कंपनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मैंगनीज अयस्क आधारित उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पुन्नूलाल मोहले द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा और राज्य से लोक सभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के कोटा के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री परसुराम माझी द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में केबीके जिलों की संशोधित दीर्घावधि कार्ययोजना शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती मिनाती सेन द्वारा देश में पर्याप्त आंगनवाड़ी केन्द्र बनाकर समन्वित बाल विकास सेवा स्कीम का सार्वभौमिकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रशीद मसूद द्वारा उत्तर प्रदेश में जलालाबाद और सरसवा के बीच रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा में शिशुपालगढ़ में पुरातात्विक स्थल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा पूर्वी रेलवे में बारासात और हसनाबाद खण्ड के बीच रेलगाड़ी के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा बिहार के छपरा और सिवान जिलों में बाढ़ के कारण जल भराव और गाद के जमाव को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा झारखण्ड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री के॰ येरननायडु द्वारा तेलुगु भाषा को 'श्रेण्य' भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री थुपस्तन छेवांग द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रही घुमंतु जनजातियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 28 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—552LS(S-5)—27-02-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 28 फरवरी, 2008/9 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 280

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 353—582 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक समीक्षा 2007-2008 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2006-2007 (खण्ड-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1729(अ) जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 2007-2008 के रबी मौसम के दौरान यूरिया के घरेलू

विनिर्माताओं द्वारा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाई गयी है, की एक प्रति।

3. **विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन**

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 10वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री अमिताभ नन्दी ने संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007 और संविधान (एकसौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 129वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य**

श्री अमिताभ नन्दी ने संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007 और संविधान (एकसौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

6. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने 3 मार्च, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.08 बजे

7. **समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

(एक) **श्री सी॰ कुप्पुसामी** ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा** ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्र** ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) **श्री रूपचन्द पाल** ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) **श्री रूपचन्द पाल** ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. **कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 27 फरवरी, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.14 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 29 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—610LS(S-5)—28-02-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 29 फरवरी, 2008/10 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 281

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **बजट (सामान्य)—2008-2009**

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2008-2009 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

2. **राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण**

श्री पी॰ चिदम्बरम ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(दो) मध्य अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

3. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

वित्त विधेयक, 2008

अपराह्न 12.51 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—636LS(S-5)—29-02-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 मार्च, 2008/13 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 282

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **शपथ**

ले॰ जनरल (सेवानिवृत्त) तेज पाल सिंह रावत, पीवीएसएम, वीएसएम ने अंग्रेजी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए तथा सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी टीम को 2 मार्च, 2008 को क्वालालम्पुर में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर सभा की ओर से बधाई दी।

उन्होंने सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम को भी 2 मार्च, 2008 को सिडनी में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले फाइनल मैच को जीतने पर बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

3. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री प्रभुनाथ सिंह

(2) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
(3) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
(4) श्री रामजीलाल सुमन
(5) श्री इलियास आजमी
(6) श्री मोहम्मद सलीम
(7) श्री अनंत गंगाराम गीते
*(8) श्री बृज किशोर त्रिपाठी

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.50 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

4. **प्रश्न**

चूंकि सदस्यों ने सभा में बहुत से ऐसे मामलों, जो सूचीबद्ध नहीं थे, पर निवेदन करना जारी रखा, इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 583—804 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

5. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

*अपराह्न 2.06 बजे

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 685(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जिनेवा में 1993 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 80वें सत्र में स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 174 और प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना के निवारण से संबंधित सिफारिश संख्या 181 पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19)(एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) जूट पैकेज सामग्री (पैंकिंग वस्तु अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 9/5/2007-जूट जो 9 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जूट वर्ष 2007-2008 के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनतम प्रतिशत में वितरण की आपूर्ति के लिए उसमें उल्लिखित वस्तुओं को जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जाएगा।

(दो) का॰आ॰ 1514(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना को संकल्प के स्थान पर सांविधिक आदेश के रूप में घोषित किया गया।

(22)(एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चावल (कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 2007 जो 27 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1991(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा॰का॰नि॰ 758(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 6 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2006-2007 के गन्ना वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 759(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 6 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2007-2008 के गन्ना वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित गन्ने की न्यूनतम कीमत निर्धारित की गई है।

(चार) चीनी (2006-2007 के उत्पादन की कीमत का विनिश्चय) संशोधन आदेश, 2007 जो 6 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 757(अ)/आ॰व॰/चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2007 जो 28 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2198(अ)/आ॰व॰/गन्ना में प्रकाशित हुआ था।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना दी:—

''कि राज्य सभा ने 27 फरवरी, 2008 को हुई अपनी बैठक में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।''

7. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा 27 फरवरी, 2008 को यथापारित।

8. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008

9. अध्यादेश के बारे में विवरण

विधि और न्याय मंत्री ने परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 1) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

रेल (संशोधन) विधेयक, 2008

11. अध्यादेश के बारे में विवरण

रेल मंत्री ने रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

12. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

*(एक) विदेश मंत्री ने विदेश नीति से संबंधित घटनाक्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) रेल मंत्री ने 27.02.2008 को उधना और सूरत रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 9031 (मुंबई सेंट्रल-भुज) कच्छ एक्सप्रेस द्वारा कुचले जाने से हुई 16 लोगों की मौत के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.16 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.32 बजे

13. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एस॰के॰ खारवेनथन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डा॰ टोकचोम मैन्या द्वारा मणिपुर की राज्यक्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री किसनभाई वी॰ पटेल द्वारा गुजरात के वापी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हरिसिंह चावड़ा द्वारा पालनपुर-खेड़ ब्राहा-श्यामला होते हुए कांडला-अंबाजी को जोड़ने वाले तथा अहमदाबाद-आबू रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा गुंटूर का अन्य शहरों से बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए नई रेल सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अधीर चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डा॰ वल्लभभाई कथीरिया द्वारा राजकोट, गुजरात में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*मध्याह्न 12.00 बजे।

(8) श्री काशीराम राणा द्वारा गुजरात राज्य में सूचना प्राद्योगिकी संस्थान और एक आईआईटी स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा भागलपुर, बिहार में प्राचीन 'विक्रमशिला विश्वविद्यालय' को बौद्ध सर्कल में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री संतोष गंगवार द्वारा उत्तर प्रदेश में बरेली में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा पाले और शीत लहर के कारण फसल की हानि झेल रहे राजस्थान के कृषकों को आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) एडवोकेट पी॰ सतीदेवी द्वारा केरल में नोटरियों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री बंसगोपाल चौधरी द्वारा झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में आग की घटनाओं पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में बीड़ी कामगारों को पर्याप्त मजदूरी और सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर भूतही-बालान नदी पर एक पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक व्यापक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री कमला प्रसाद रावत द्वारा बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली की 'दरगाह' के पास रेलवे ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री के॰ येरननायडु द्वारा आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में नौपदा इस्टेट गांव में रेल प्राधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को बेदखल किए जाने से रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.33 बजे

14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 4 घंटे 27 मिनट
शेष समय: 7 घंटे 33 मिनट

श्री अजीत जोगी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

इक्यावन (91—106, 339—353 और 464—483) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री लाल कृष्ण आडवाणी
(2) श्री मोहम्मद सलीम
(3) श्री रमेश दूबे
(4) श्री आलोक कुमार मेहता
(5) श्री भर्तृहरि महताब
(6) श्री अजय चक्रवर्ती
(7) श्री खारबेल स्वाईं
(8) श्री अधीर चौधरी (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

#सायं 7.22 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 4 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 7.00 बजे से सायं 7.22 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—715LS(S-5)—03-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 मार्च, 2008/14 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 283

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 82—88 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 89—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 805—971 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2224(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2007 को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 6 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 73(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केबल टेलीविजन नेटवर्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 2008 जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओषन इन्फॉर्मेशन सर्विस, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओषन इन्फॉर्मेशन सर्विस, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 5/1/2007-एमएण्डजी, जो 26 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें हरियाणा के राज्यपाल के लिए अनुसूची दो के अन्तर्गत सत्कार व्यय, संविदा भत्ता और दौरा व्यय के अंतर्गत राशि बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष आदेश दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 7/4/2006-एमएण्डजी, जो 26 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें असम के राज्यपाल के लिए अनुसूची-I के अन्तर्गत राशि बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष आदेश दिया हुआ है।

(9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2007, जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 801(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सेकेंड-इन-कमांड (परिवहन) भर्ती नियम, 2007, जो 14 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 545(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) की मद सं॰ (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अधीनस्थ रैंक), भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 88(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एक्सोम सर्वशिक्षा अभियान मिशन, गुवाहटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सोम सर्वशिक्षा अभियान मिशन, गुवाहटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉरमेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) विश्व भारती के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष की समप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, पीत ज्वर और अन्य वेक्टर जनित रोग) उपविधियां, 2007 जो 14 अगस्त, 2007 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 4/4/2006/ एनडीएमसी/14663 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य) विनियम, 2007 जो 18 मई, 2007 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/41/2006/एनडीएमसी/8009 में प्रकाशित हुए थे।

(27) दमन और दीव मूल्य वर्धित कर विनियम, 2005 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना डीएमएन/वीएटी-2005/07-08/716 जो दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के 25 अक्तूबर, 2007 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त विनियम की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने 'रक्षा आयुध निर्माणी' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुधांशु सील ने शहरी विकास मंत्रालय के "मुद्रण निदेशालय" के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन;

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन;

(3) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन;

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित ''वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए समन्वित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों'' विषय के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

7. **परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

डा॰ के॰ धनराजू ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं:—

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 118वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 127वां प्रतिवेदन;

(2) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 117वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 128वां प्रतिवेदन;

(3) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 129वां प्रतिवेदन; और

(4) राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भांगा विस्तार) विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 130वां प्रतिवेदन।

8. **वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन**

श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे ने वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीं:—

(1) पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और वक्फ बोर्ड, पश्चिम बंगाल के कार्यकरण के बारे में पहला प्रतिवेदन;

(2) राजस्थान में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में दूसरा प्रतिवेदन;

(3) वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधनों के बारे में तीसरा प्रतिवेदन;

(4) असम में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और असम वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में चौथा प्रतिवेदन; और

(5) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन और चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड के कार्यकरण के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

9. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने 29 फरवरी, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

10. बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यों, कार्य मंत्रणा समिति की कल (03.03.2008) को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार, 7 मार्च, 2008 को नियत सभा की बैठक रद्द की जाए।

आशा है, सभा इससे सहमत होगी।''

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.07 बजे

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

(दो) गृह मंत्री ने मुंबई और देश के अन्य भागों में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की घटनाओं के बारे में 3 मार्च, 2008 को सदस्यों द्वारा उठाए गए लोक महत्व के मामलों के प्रत्युत्तर में एक वक्तव्य दिया।

*12. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री संतोष गंगवार ने कार्य मंत्रणा समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

**अपराह्न 12.57 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

---

*अपराह्न 4.33 बजे

**अपराह्न 12.25 बजे से अपराह्न 12.56 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(1) श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन द्वारा शिवगंगा, तमिलनाडु की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती वेलु नाचियार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिवसीय डाक कवर जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मनोरंजन भक्त द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के हैवलॉक द्वीप में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा गुजरात के साबरकांठा जिले में मोदसा और शमलाजी के बीच एक रेल संपर्क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री वी॰ के॰ ठुम्मर द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा रेवाड़ी-दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को राजस्थान में अलवर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा अधिसूचना से निकाली गयी जनजातियों (डिनोटिफाइड ट्राइब्स) को नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पुन्नु लाल मोहले द्वारा बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और मांडला (मध्य प्रदेश) को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती पी॰ एस॰ गढ़वी द्वारा कच्छ, गुजरात के कोरीक्रिक क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे और पत्तन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा राजस्थान के उन किसानों, जिनकी फसल पाला और शीतलहर के कारण बर्बाद हो गई है, को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मनसुख भाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच में जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरक्षित वन क्षेत्रों तथा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को अधिशासित करने वाली विधि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती सी॰एस॰ सुजाता द्वारा केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल और गेहूं का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र के सूखाप्रभावित लोगों को राहत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार के समस्तीपुर में 'कर्पूरी बांध' के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील द्वारा महाराष्ट्र के परभनी में एक फूड पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा सरकार को विद्युत उत्पादन पर शुल्क लगाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल के किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री जोरा सिंह मान द्वारा पात्र अनुसूचित जाति परिवारों को सरकारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनगणना कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डा॰ अरुण कुमार शर्मा द्वारा असम में होम गार्ड्स की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री नकुल दास राय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 31क द्वारा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से होकर सिक्किम तक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.57 बजे

14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आवंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 11 घंटे 28 मि॰
शेष समय : 32 मिनट

श्री अजीत जोगी द्वारा 3 मार्च, 2008 को पेश किए गए तथा श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा अनुमोदन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही:

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:–

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:–

(1) श्री अधीर चौधरी

(2) श्री अनंत गंगाराम गीते

(3) *श्री वीरेन्द्र कुमार

(4) श्री रामजीलाल सुमन

(5) श्री प्रभुनाथ सिंह

(6) श्री सुखदेव सिंह ढींढसा

(7) श्री अनंत कुमार

(8) श्री मधुसूदन मिस्त्री

(9) श्रीमती एम॰एस॰के॰ भवानी राजेन्तीरन

(10) श्री सीता राम सिंह

(11) **श्री शैलेन्द्र कुमार

(12) *प्रो॰ के॰ एम॰ कादर मोहिदीन

(13) प्रो॰ एम॰ रामदास

(14) *श्री हरिकेवल प्रसाद

(15) श्री बिक्रम केशरी देव

(16) श्री किरिप चालिहा

(17) *डा॰ सिवैस्टियन पॉल

(18) श्री एल॰ गणेशन

(19) श्री इलियास आजमी

(20) श्री कीरेन रिजीजू

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

(21) श्रीमती बोत्चा झांसी लक्ष्मी

(22) श्री के॰ येरननायडू

(23) *श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी

(24) **श्री मुन्शी राम

(25) श्री प्रहलाद जोशी

(26) *श्री रघुराज सिंह शाक्य

(27) *श्री नवीन जिन्दल

(28) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन

(29) श्री जोवाकिम बखला

(30) श्री सर्वानन्द सोनोवाल

(31) एडवोकेट सुरेश कुरूप

(32) श्री असादूद्दीन ओवेसी

(33) श्री अब्दुल रशीद शाहीन

(34) *श्री पी॰ सी॰ थामस

(35) **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा

(36) **श्री फ्रांसिस फैन्थम

(37) श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज

(38) **श्री रवि प्रकाश वर्मा

(39) श्री मणि चारेनामै

(40) *श्री बाबू राव मिडियम

(41) श्री हरिभाऊ राठौड़

(42) **श्री रामदास आठवले

(43) श्री सिप्पीपारई रविचंद्रन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

(44) श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी

(45) **डा॰ टोकचोम मैन्या

(46) **डा॰ वल्लभभाई कथीरिया

(47) **श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार

(48) *श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

(49) *श्री शंखलाल माझी **(भाषण अपूर्ण रहा)**

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 8.21 बजे

(लोक सभा बुधवार, 5 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 7.58 बजे से रात्रि 8.21 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—761LS(S-5)—04-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 मार्च, 2008/15 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 284

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई**

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम और इसके कप्तान श्री महेन्द्र सिंह धोनी को 4 मार्च, 2008 को ब्रिसबेन में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध शानदार जीत हासिल कर कामनवेल्थ बैंक ट्राईसीरीज चैम्पियनशिप पर कब्जा करने के लिए बधाई दी।

2. **अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणाएं की:—

(एक) ''माननीय सदस्यगण, काफी लंबे अर्से से यह मांग की जाती रही है कि भारत के महान देशभक्त सपूत शहीद भगत सिंह को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में संसद भवन परिसर में इनकी प्रतिमा लगाई जाए। संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों के चित्र/प्रतिमाएं लगाने संबंधी संयुक्त समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुझे सभा को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि संसद भवन परिसर में सुविख्यात मूर्तिकार श्री राम वी॰ सुतार द्वारा तैयार की गई शहीद भगत सिंह की 18 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगाई जाएगी। लोक सभा सचिवालय द्वारा इसका लागत व्यय वहन किया जाएगा। प्रतिमा का अनावरण अगस्त, 2008 में किया जाएगा।''

(दो)* ''मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे दिनांक 3 मार्च, 2008 को सर्वश्री के॰ चन्द्रशेखर राव, मधुसूदन तक्कला रेड्डी, रविन्दर नाइक धारावत और बी॰ विनोद कुमार, जो क्रमश: करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल और हनमकोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य हैं, के तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र प्राप्त हुए हैं।

*अपराह्न 12.01 बजे

मैंने 3 मार्च, 2008 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।''

3. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 104, 107, 108, 109, 110 और 112 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 102, 103, 105, 106, 111 और 113—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 972—1138 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

5. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) (एक) इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इन्लैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1921(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-आगरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1791(अ) जो 22 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (बागपत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2087(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑफ दिल्ली) (गौतम बुद्ध नगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2182(अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 2146(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का०आ० 116(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (डलकोला बाइपास खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, बाइपास आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का०आ० 2145(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (सुकिन्डा-भुबन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का०आ० 2147(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (संभलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

(नौ) का०आ० 1852(अ) जो 30 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का०आ० 2097(अ) जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर-लक्ष्मणनाथ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 2148(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि

के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन गाजियाबाद को प्राधिकृत किया गया है।

(बारह) का॰आ॰ 2149(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन, गौतम बुद्ध नगर को प्राधिकृत किया गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 2150(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन, बुलंदशहर को प्राधिकृत किया गया है।

(चौदह) का॰आ॰ 2151(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अर्जन, अलीगढ़ को प्राधिकृत किया गया है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2158(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 15 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1971(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) दिया गया है।

(सोलह) का॰आ॰ 2159(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 24 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2015(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण में) दिया गया है।

(सत्रह) का॰आ॰ 2215(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2090(अ) और का॰आ॰ 2091(अ) जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-खालघाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2199(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2165(अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धूले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1926(अ) जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (सतारा-पुणे खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 2135(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडपे-गोंडे खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2166(अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धूले खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाना), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. **प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन**

श्री सी॰ कुप्पुसामी ने 'संस्कृति मंत्रालय — भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों का अनुरक्षण' के बारे में प्राक्कलन समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री रूपचन्द पाल ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के इंजन प्रभाग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बारे में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) संख्यांक 9 (निष्पादन लेखापरीक्षा) के अध्याय-तीन के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन**

श्री चद्रभूषण सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री अधीर चौधरी ने 'बंगलौर और हैदराबाद विमान पत्तनों को बंद किया जाना तथा तत्संबंधी मामले' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 131वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

11. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 10 मार्च, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

12. **प्रस्ताव**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 4 मार्च, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)**

श्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2007-08 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. **अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)**

श्री लालू प्रसाद ने वर्ष 2005-06 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.11 बजे

15. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

लिया गया समय : 12 घंटे 33 मिनट

3 मार्च, 2008 को श्री अजीत जोगी द्वारा पेश किए गए और श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव तथा उस पर पेश किए गए संशोधनों पर चर्चा जारी रही:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत् लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

डा॰ मनमोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत हुई)।

अपराह्न 2.06 बजे

16. (एक) सांविधिक संकल्प — विचाराधीन	आवंटित समय :	12 घंटे
सरकारी विधेयक — विचाराधीन	लिया गया समय :	3 घंटे 54 मिनट
(दो) बजट (रेल) — 2008-09	शेष समय :	8 घंटे 06 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों को एक साथ लिया गया:—

(एक) रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प;

(दो) रेल (संशोधन) विधेयक, 2008;

(तीन) बजट (रेल) — 2008-09 पर सामान्य चर्चा;

(चार) बजट (रेल) — 2008-09 के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(पांच) बजट (रेल) — 2007-08 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें सं॰ 10, 12, 14, 15 और 16;

(छह) बजट (रेल) — 2005-06 के संबंध में अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सं॰ 4, 6, 10 और 16 ।

श्री प्रबोध पाण्डा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 31 जनवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

रेल (संशोधन) विधेयक, 2008

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त रूप से वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) *श्री हरिन पाठक

(2) श्री निखिल कुमार

(3) **श्री सुग्रीव सिंह

(4) श्री बसुदेव आचार्य

(5) श्री शैलेन्द्र कुमार

---

*लिखित भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर रखा गया।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(6) *श्री रघुनाथ झा

(7) श्री काशी राम राणा

(8) श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल

(9) **श्री बिक्रम केशरी देव

(10) श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास

(11) श्री आनंदराव विठोबा अडसूल

(12) *श्री कैलाश बैठा

(13) *श्री गणेश सिंह

(14) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 6.28 बजे

(लोक सभा सोमवार, 10 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

#सायं 6.00 बजे से 6.28 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—7802LS(S-5)—05-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 10 मार्च, 2008/20 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 285

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने मार्च महीने के दूसरे सोमवार को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाए जाने के अवसर पर एक उल्लेख किया।

2. **प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 141—146 के मौखिक उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 147—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 1369—1540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

7 मार्च, 2008 की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121-140 को भी अतारांकित माना गया और उनके उत्तर आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे चूंकि उस दिन सभा की बैठक रद्द हो गई थी।

7 मार्च, 2008 की कार्यसूची में सम्मिलित अतारांकित प्रश्न संख्या 1139-1368 भी आज की कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए रक्षा मंत्रालय।

(2) वर्ष 2008-2009 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत, मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2008 का संख्यांक सीए 12) (दूरसंचार क्षेत्र)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(3) वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गेहूं (कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 2008 जो 11 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 288(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 95(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2006-2007 के चीनी वर्ष के लिए चीनी के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

(5) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

5. **कर्नाटक बजट 2008-2009**

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2008-2009 के लिए कर्नाटक राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

6. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (कर्नाटक)—2007-2008**

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2007-2008 के लिए कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

(एक) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008

8. **अध्यादेश के बारे में विवरण**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 5) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

*अपराह्न 12.05 बजे

9. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के केन्द्रीय कमेटी ऑफिस, नई दिल्ली पर हमला के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्सवादी) के केन्द्रीय कमेटी ऑफिस, नई दिल्ली पर हमला के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री मोहम्मद सलीम

(2) प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा

(3) श्री मधुसूदन मिस्त्री

* अपराह्न 1.15 बजे

(4) श्री मोहन सिंह

(5) श्री प्रभुनाथ सिंह

(6) श्री गुरुदास दासगुप्त

(7) श्री सी॰ कुप्पुसामी

(8) कुमारी ममता बनर्जी

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.26 और अपराह्न 1.15 से अपराह्न 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(9) श्री राम कृपाल यादव
(10) श्री इलियास आजमी
(11) श्री संतोष गंगवार
(12) श्री मोहन रावले
(13) श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज
(14) श्री बृज किशोर त्रिपाठी
(15) श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.15 बजे पुनःसमवेत हुई।

*10. **सभा से सदस्य का बाहर निकाला जाना**

जब भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के केन्द्रीय कमेटी ऑफिस, नई दिल्ली पर हमले के बारे में अविलंबनीय महत्व का मामला सभा में उठाया जा रहा था, श्री राम कृपाल यादव, जो सभा में निरंतर व्यवधान डाल रहे थे, को अध्यक्ष द्वारा सभा से बाहर निकल जाने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् श्री राम कृपाल यादव सभा से बाहर चले गए।

बाद में माननीय अध्यक्ष ने सभा में घोषणा की कि उन्होंने उन्हें (श्री राम कृपाल यादव.को) सभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी है क्योंकि उन्होंने सभा में अपने आचरण के लिए लिखित रूप में स्पष्ट तौर पर क्षमा मांगी है।

अपराह्न 1.31 बजे

11. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:

1. श्री एस॰के॰ खारवेनथन द्वारा तमिलनाडु में अवाडी और श्रीपेरम्बुदूर के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 12.19 बजे।

2. श्री हरिसिंह चावड़ा द्वारा बनासकांठा, गुजरात के पालनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं॰ 1, 2 और 3 के ऊपर शेड का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री वी॰ के॰ ठुम्मर द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एफ॰ एम॰ रेडियो के प्रसारण को शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' द्वारा भारतीय सेना में भर्ती के लिए उत्तराखंड के युवकों के लिए शारीरिक मानकों के मानदंड को शिथिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री अधीर चौधरी द्वारा कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच हजारद्वारी एक्सप्रेस को रोजाना चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. डा॰ तुषार ए॰ चौधरी द्वारा गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत गुजरात मोटर व्हीकल्स (यूज ऑफ फ्यूल) रेगुलेशन बिल का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. डा॰ सत्यनारायण जटिया द्वारा मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री अनंत नायक द्वारा क्योंझर और उड़ीसा के अन्य भागों में मलेरिया के उन्मूलन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री पुन्नूलाल मोहले द्वारा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में चाकरभट्टा से विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री स्वदेश चक्रवर्ती द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा नौसेना विद्रोह के जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा झांसी-मिर्जापुर-हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) और छतरपुर (मध्य प्रदेश) के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 75-76 तथा हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 को चौड़ा करने और उनका स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का शीघ्र निर्माण कर उन्हें जिला मुख्यालयों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री राम कृपाल यादव द्वारा देश में किसानों के कल्याण के लिए उपायों को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री कमला प्रसाद रावत द्वारा देश में मिट्टी के तेल को आसानी से उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री एम॰ अप्पादुरई द्वारा विदेशों में नौकरी चाहने वाले नागरिकों के दस्तावेजों के प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री जोरा सिंह मान द्वारा पंजाब में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधियों की समुचित उपयोगिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री एम॰पी॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा केरल की 'कुडम्बी' जनजाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.37 बजे

लिया गया समय: 13 घंटे 59 मिनट

12. **(एक) सांविधिक संकल्प—विचाराधीन**
सरकारी विधेयक—विचाराधीन

(दो) बजट (रेल)—2008-09

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं और उन पर संयुक्त चर्चा जारी रही:—

(एक) रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प;

(दो) रेल (संशोधन) विधेयक, 2008;

(तीन) बजट (रेल)—2008-09 पर सामान्य चर्चा;

(चार) बजट (रेल)—2008-09 के संबंध में लेखानुदान की मांग सं॰ 1 से 16

(पांच) बजट (रेल)—2007-08 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 10, 12, 14, 15 और 16; तथा

(छह) बजट (रेल)—2005-06 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग सं॰ 4, 6, 10 और 16।

श्री प्रबोध पाण्डा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

रेल (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1)** श्री गिरधारी लाल भार्गव

(2)** श्री राकेश सिंह

(3) श्रीमती सुमित्रा महाजन

(4)** श्री भर्तृहरि महताब

(5) श्री ब्रहमानंद पंडा

(6) डा॰ रामेश्वर उरांव

(7) श्री प्रबोध पाण्डा

(8) श्री रेवती रमन सिंह

(9) श्री विजय कृष्ण

(10)* डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय

(11) सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा

(12)** श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील

(13) डा॰ कर्नल धनीराम शांडिल्य

(14) श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

(15)** श्री जीवाभाई ए॰ पटेल

(16)** श्री वी॰के॰ ठुम्मर

(17)** श्री डी॰ नरबुला

(18) श्री इलियास आजमी

---

*भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(19)** श्री अविनाश राय खन्ना

(20)** श्री महावीर भगोरा

(21)* श्रीमती यशोधरा राजे सिन्धिया

(22)** श्री पी॰सी॰ गद्दीगउडर

(23)** श्री एम॰ अप्पादुरई

(24) श्री ए॰ साई प्रताप

(25)** श्री पारस नाथ यादव

(26) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम

(27) श्री एल॰ गणेशन

(28)* प्रो॰ रासा सिंह रावत

(29)** श्री बृज किशोर त्रिपाठी

(30)* श्री अलकेष दास

(31) श्री नवीन जिन्दल

(32) श्री ई॰ पोन्नुस्वामी

(33)** श्री भाईलाल

(34) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव

(35) श्री तापिर गाव

(36)** श्री इकबाल अहमद सरडगी

(37)** श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी

(38) श्री जय प्रकाश (हिसार)

(39)** श्री सांताश्री चटर्जी

(40)** श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौड़ा

(41) श्री अर्जुनचरण सेठी

(42)** श्री सूरज सिंह

---

*भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(43)** श्री हरिकेवल प्रसाद
(44)** श्री श्रीनिवास पाटील
(45) श्री मुकीम मोहम्मद
(46)** श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी
(47) श्री सुखदेव सिंह ढींढसा
(48)* श्री जी॰ करूणाकर रेड्डी
(49)** श्री निहाल चन्द
(50)** श्री अशोक कुमार प्रधान
(51)** श्री श्रीचन्द कृपलानी
(52)** श्री पंकज चौधरी
(53) चौधरी लाल सिंह
(54)** श्री जी॰ एम॰ सिद्दीश्वर
(55) श्री तुफानी सरोज
(56)** श्री प्रहलाद जोशी
(57) श्री पी॰ करूणाकरन
(58)** श्री सिप्पीपाराई रविचन्द्रन
(59) श्री ए॰ आर॰ शाहीन
(60)** डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी
(61)** डा॰ सत्यनारायण जटिया
(62)* श्री सर्वानन्द सोनोवाल
(63)* श्री वीरेन्द्र कुमार
(64)** श्री रूपचन्द पाल
(65)* श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह
(66) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन

---

*भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(67)** श्री एम॰ राजा मोहन रेड्डी

(68)** श्री राम सिंह कस्वां

(69) श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज

(70)** श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव

(71)* श्री पी॰ एस॰ गढवी

(72)** श्री हरिभाऊ माधव जावले

(73)* श्री देवव्रत सिंह

(74) श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता

(75)** श्री एस॰ मल्लिकार्जुनैया

(76)** श्री अमिताभ नन्दी

(77)** श्री पी॰ सी॰ थामस

(78)* श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

(79)** श्री चन्द्रभान सिंह

(80) डा॰ करण सिंह यादव

(81)** श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम

(82) श्री राम कृपाल यादव

(83)* श्री एम॰ शिवन्ना

(84)** प्रो॰ एम॰ रामदास

(85)* श्री फग्गन सिंह कुलस्ते

(86)** डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया

(87)** श्रीमती मनोरमा माधवराज

(88) श्री विजेन्द्र सिंह

(89)** श्री घुरन राम

(90) श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार

---

*भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(91)** श्री अनंत नायक

(92)* श्री राजनरायन बुधौलिया

(93)** श्री रायापति सांबासिवा राव

(94) एडवोकेट पी॰ सतीदेवी

(95) श्री हंसराज गं॰ अहीर

(96) श्री बालासाहिब विखे पाटील

(97) श्री रामदास आठवले

(98) डा॰ वल्लभभाई कथीरिया

(99) श्रीमती प्रतिभा सिंह

(100) डा॰ के॰ एस॰ मनोज

(101)** श्रीमती सुस्मिता बाउरी

(102)** श्री संतोष गंगवार

(103)* श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

(104) श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा

(105)* श्री मोहन रावले

(106) श्री धर्मेन्द्र यादव

(107) श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील

(108) श्री विजय बहुगुणा

(109)* श्री सुनील खां

(110)* डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क

(111)* डा॰ राम लखन सिंह

(112) श्री बापू हरी चौरे

(113)* डा॰ सी॰ कृष्णन

(114) श्री अबु अयीश मंडल

(115) श्री नन्द कुमार साय

---

*लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(116)* श्री जसुभाई धानाभाई बारड़

(117)* श्री रवि प्रकाश वर्मा

(118)* श्री निखिल कुमार चौधरी

(119) श्री मधुसूदन मिस्त्री

(120) डा॰ सुजान चक्रवर्ती

(121)** श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी

(122) श्री हरिभाऊ राठौड़

(123) श्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा

(124) श्री सुरेश कुरूप

(125)* श्री अशोक अर्गल

(126) डा॰ टोकचोम मैन्या

(127)* श्री शंखलाल माझी

(128) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर

(129)* डा॰ अरविन्द शर्मा

(130) श्री शिशुपाल एन॰ पटले

(131) डा॰ धीरेन्द्र अग्रवाल

(132)** प्रो॰ चन्द्र कुमार

(133)** श्री खारबेल स्वाईं

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 11.42 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 11 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—922LS(S-5)—10-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 11 मार्च, 2008/21 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 286

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 161, 162, 164, 165 और 166 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 163 और 167—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1541—1733 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) धन का निवेश नियम, 2007 जो 22 दिसम्बर,

2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 284 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) खेलकूद प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ आज्ञापक हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा (2) की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 281(अ) जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित खेलकूद स्पर्धाओं को राष्ट्रीय महत्व की स्पर्धाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग) संशोधन नियम, 2007 जो 11 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 162 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैण्ड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथॉरिटी, नागालैण्ड के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) उत्तर प्रदेश एजुकेशन फार ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश एजुकेशन फार ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, लखनऊ के सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 6) (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क)—(निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2008 का संख्यांक सीए 7) (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क)—(अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(तीन) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 7) (प्रत्यक्ष कर)—(निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(चार) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2008 का संख्यांक सीए 8) (प्रत्यक्ष कर)।

(21) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 246(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 477(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने आश्वासनों को छोड़ने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्यकरण के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 184वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

9. अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4) द्वारा तत्काल विधान

बनाए जाने के कारण दर्शाने वाले एक व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

10. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने 7 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुन:समवेत हुई।)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.33 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.30 बजे पुन:समवेत हुई।)

अपराह्न 1.31 बजे

11. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) ले॰ जनरल (सेवानिवृत्त) तेज पाल सिंह रावत, पीवीएसएम, वीएसएम, द्वारा भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों के युवकों के लिए शारीरिक और शैक्षणिक मानकों के मानदण्डों में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरिन पाठक द्वारा अहमदाबाद, दिल्ली और देश के अन्य भागों में एल॰पी॰जी॰ की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री काशीराम राणा द्वारा सूरत हवाई अड्डा, गुजरात के स्तरोन्नयन और विस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में शिवपुरी और देवास के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को शीघ्र चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुनील खां द्वारा हैदराबाद और बंगलौर विमानपत्तनों को बंद करने के निर्णय को बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मोहन सिंह द्वारा आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ के॰ धनराजू द्वारा राष्ट्रीय महानिषेध नीति का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री पन्नियन रवीन्द्रन द्वारा तिरुवनंतपुरम, केरल में उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.31 बजे

लिया गया समय: 14 घंटे 53 मिनट

12. (एक) सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया
सरकारी विधेयक — पारित

(दो) बजट (रेल) — 2008-09

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं और उन पर संयुक्त चर्चा जारी रही:—

(एक) रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प;

(दो) रेल (संशोधन) विधेयक, 2008

(तीन) बजट (रेल) — 2008-2009 पर सामान्य चर्चा

(चार) बजट (रेल) — 2008-09 के संबंध में लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16;

(पांच) बजट (रेल) — 2007-08 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 10, 12, 14, 15 और 16 तथा

(छह) बजट (रेल) — 2005-06 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग सं॰ 4, 6, 10 और 16।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में शामिल किए जाने हेतु अपने लिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रघुराज सिंह शाक्य

(2) श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा'

(3) प्रो॰ एस॰ पी॰ सिंह बघेल

(4) श्री जसवंत सिंह बिश्नोई

(5) श्री श्रीपाद येसो नाईक

(6) श्री दुष्यंत सिंह

(7) श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली

(8) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा

(9) श्री मुन्शी राम

(10) श्री अधीर चौधरी

(11) श्रीमती किरण माहेश्वरी

(12) श्री रतिलाल कालीदास वर्मा

(13) श्री डी॰ के॰ आदिकेसवुलु

(14) श्री रनेन बर्मन

(15) श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद

(16) श्री लक्ष्मण सेठ

श्री लालू प्रसाद ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2008-2009 के लिए लेखानुदानों की मांग संख्या 1 से 16 के संबंध में लेखानुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 10, 12, 14, 15 और 16 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2005-2006 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 4, 6, 10 और 16 के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

13. सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया।

श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा 5 मार्च, 2008 को पेश निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा, अर्थात्:—

> ''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 2008 को प्रख्यापित रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् जैसा कि नीचे पैरा 14 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

14. **सरकारी विधेयक — पारित**

रेल (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2008

16. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

17. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग (रेल) विधेयक, 2008

18. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (रेल) विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

19. **सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित**

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2008

20. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 2.32 बजे

21. **कर्नाटक बजट — 2008-2009**

लिया गया समय : 2 घन्टे 38 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(1) वर्ष 2008-2009 के कर्नाटक राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) वर्ष 2008-2009 के कर्नाटक राज्य के बजट के संबंध में लेखानुदान की मांग संख्या 1 से 29।

(3) वर्ष 2007-2008 के कर्नाटक राज्य के बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक — (दो) मांगें संख्या 1 से 29।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री अनंत कुमार

(2) श्री आर॰एल॰ जाल्लपा

(3) श्री पी॰ करूणाकरण

(4) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन

(5) श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौडा

(6) श्रीमती तेजस्विनी गौडा

(7)* श्री एम॰ शिवन्ना

(8) श्री सुरेश अंगड़ि

(9) श्री इकबाल अहमद सरडगी

(10)* श्री प्रहलाद जोशी

(11) श्री जी॰ एम॰ सिद्दीश्वर

(12) श्री सी॰ एच॰ विजयशंकर

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

कर्नाटक राज्य के बजट के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांगें संख्या 1 से 28 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए लेखानुदानों की मांगों (कर्नाटक) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अनुदानों की सभी अनुपूरक-दो मांगें संख्या 1 से 5 और 7 से 28 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (कर्नाटक) की मुद्रित सूची के स्तम्भ संख्या 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सांय 5.11 बजे

22. **@सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया**

लिया गया समय : 3 घंटे

श्री प्रबोध पाण्डा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 14 जनवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे पैरा 23 (एक) में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

23. **सरकारी विधेयक — पारित**

(एक)@ **परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008**

(दो)@ **लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008**

श्री हंसराज भारद्वाज ने (एक) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008 तथा (दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

---

* लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

@ एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री बची सिंह रावत 'बचदा'

(2) डा॰ रामेश्वर उरांव

(3) श्री बसुदेव आचार्य

(4) श्री शैलेन्द्र कुमार

(5) श्री विजय कृष्ण

(6) श्री भर्तृहरि महताब

(7) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

(8) श्री ए॰ कृष्णास्वामी

(9) कुमारी ममता बैनर्जी

(10) श्रीमती नीता पटैरिया

(11) डा॰ टोकचोम मैन्या

(12) श्री वरकला राधाकृष्णन

(13) डा॰ एम॰ जगन्नाथ

(14) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन

(15) श्री कीरेन रिजीजू

(16) श्रीमती सुशीला केरकेटा

(17) डा॰ अरुण कुमार शर्मा

(18) श्री नन्द कुमार साय

(19) श्री रामदास आठवले

(20) श्री धर्मेन्द्र प्रधान

(21) डा॰ राम लखन सिंह

श्री हंसराज भारद्वाज ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री प्रबोध पाण्डा (उनके संकल्प के उत्तर में बोले)

(एक) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हंसराज भारद्वाज ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री हंसराज भारद्वाज ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.11 बजे

(लोक सभा बुधवार, 12 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—948LS(S5)—11-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 12 मार्च, 2008/22 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 287

पूर्वाह्न 11.00 बजे

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, आज की कार्य सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 181—200 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1734—1908 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 1.00 बजे

2. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन, गुवाहाटी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2008 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2008 जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 84(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 707(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2170(अ) जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 247(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 (मारन-इम्फाल खण्ड) के भाग का विकास तथा अनुरक्षण सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाने का निर्देश दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 248(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2163(अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु संयुक्त सचिव, बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउंसिल को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 97(अ) जो 1 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहाट-डिब्रुगढ़ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु अपर उपायुक्त, जोरहाट को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 142(अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जीरकपुर-परवानू खंड तथा पिंजौर-कालका-परवानू बाइपास) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 140(अ) और का॰आ॰ 141(अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 1905(अ) जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 528(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 2154(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1017(अ) (केवल हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(दस) का॰आ॰ 2152(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 26 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1018(अ) का शुद्धि पत्र दिया गया है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2153(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 53(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 126(अ) जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर-रीनगस खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 163(अ) जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1537(अ) को रद्द किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 245(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(24) उपर्युक्त (23) के मद सं॰ (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजमार्ग प्रशासन (संशोधन) नियम, 2007 जो 24 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2171(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 120(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को उक्त अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 55(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को मान्यता दिए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, फाउण्डेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, फाउण्डेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

चौधरी लाल सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने जून, 2007 के दौरान मुंबई, मदुरै, चेन्नई तथा तिरुवनंतपुरम दौरे के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने आश्वासनों को छोड़ने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वर्ष 2007-08 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 1.03 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री मधु गौड यास्खी द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की पेय जल परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' द्वारा उत्तराखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में जलाभाव की समस्या को कम करने के लिए बेतवा नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा डा॰ सर हरि सिंह गौड़ को भारत रत्न सम्मान दिए जाने तथा सागर विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री पी॰एस॰ गढवी द्वारा गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों को जोड़ने वाली सीमा सड़क परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्राक्कलित राशि की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री ए॰वी॰ बेल्लारमिन द्वारा छात्रों को ब्याजरहित शिक्षा ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री पी॰ राजेन्द्रन द्वारा देश के पश्चिमी समुद्री तट से बेशकीमती बालू के उत्खनन में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री पारस नाथ यादव द्वारा देश के किसानों को ऋण की संस्वीकृति हेतु प्रतिमानों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री चन्द्रपाल सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में झांसी के किले के ऐतिहासिक स्थल की मरम्मत तथा अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री इलियास आजमी द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नकद राशि का संवितरण करने के लिए राशन कार्डों के कंप्यूटरीकरण हेतु एक प्रायोगिक योजना (पाइलट स्कीम) की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता द्वारा झारखंड के हजारीबाग को भारतीय रेल के मानचित्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री रामस्वरूप प्रसाद द्वारा बिहार के इस्लामपुर और पटना के बीच दैनिक पैसेंजर ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बों का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री मुन्शी राम द्वारा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.13 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.30 बजे पुनःसमवेत हुई।)

अपराह्न 1.33 बजे

8. **बजट (सामान्य) — 2008-2009**

आबंटित समय : 12 घंटे
लिया गया समय : 4 घंटे, 8 मिनट
शेष : 7 घंटे 52 मिनट

वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः—

(1)* प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा

(2) श्री बालासाहेब विखे पाटील

(3) श्री रूपचन्द पाल

(4)** श्रीमती भावना पी॰ गवली

(5) प्रो॰ रामगोपाल यादव

(6)** डा॰ एम॰ जगन्नाथ

(7)** श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल

(8) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

(9)** श्री डी॰ विट्टल राव

(10) श्री इलियास आजमी

(11) श्री तथागत सत्पथी

(12) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

(13)** श्री रतिलाल कालीदास वर्मा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

*लिखित भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर रखा गया।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 5.41 बजे

9. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मौजूदा हैदराबाद और बंगलोर विमानपत्तनों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

सायं 5.53 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 13 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1003LS(S5)—12-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरूवार, 13 मार्च, 2008/23 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 288

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 201—206 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 207—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1909—2138 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

(9) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) कृषक भारती का-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन रेलवे वेलफैयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेलफैयर ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) रिहैबीलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबीलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारत भारी उद्योग लिमिटेड और उसके समनुषंगी कंपनियां, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग लिमिटेड और उसके समनुषंगी कंपनियां, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत सोल्वेन्ट, रैफीनेट एण्ड स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2007 जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 31 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 405(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत रिफ्रैक्टरिज लिमिटेड बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रैक्टरिज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) स्पॉज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पॉज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री अवतार सिंह भडाना ने 25 जनवरी, 2008 को लोक सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 6 के अंतर्गत श्री कुलदीप विश्नोई के विरुद्ध एक याचिका दी थी जिसमें यह निवेदन किया गया था कि सदस्य को अपने मूल राजनीतिक दल अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से छोड़ देने के कारण संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के अंतर्गत सभा का सदस्य होने के लिए निरहर्र घोषित किया जाए।

उक्त नियमों के नियम 7 (3) के संदर्भ में, मैंने याचिका की प्रति उपाबंधों के साथ प्रत्यर्थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता को इस मामले में टिप्पणी के लिए भिजवाई।

टिप्पणियों का अध्ययन करने के पश्चात् तथा मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने याचिका को उक्त नियमों के नियम 7(4) के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को

प्रारंभिक जांच करने तथा इस बारे में मुझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भेजने का निर्णय किया है।''

5. राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 19वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन

महासचिव ने राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के लंदन में 2 जनवरी से 5 जनवरी, 2008 तक हुए 19वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

महासचिव ने 1 जून, 2006 से 31 मई, 2007 की अवधि से संबंधित 'संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री सी॰ कुप्पुसामी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में प्राक्कलन समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(2) ''आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(3) ''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान द्वारा शुरू की गई मृदा तथा जल के उपयोग और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं का प्रबन्धन'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

(4) ''सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)'' के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 43वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

9. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री रूपचन्द मुर्मू ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में ''अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन'' के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ''अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन'' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग-बीमा प्रभाग) से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

10. **लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन**

श्री चन्द्रभूषण सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 17वें, 19वें और 24वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) भीड़भाड़ वाले मार्गों पर क्षमता बढ़ाए जाने के बारे में श्री एम॰ श्रीनिवासुलु रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 114 के 22 नवम्बर, 2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.04 बजे

12. **सरकारी विधेयक — वापस लिया गया**

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006

अपराह्न 12.14 बजे

13. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008

*अपराह्न 12.15 बजे

14. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

अपराह्न 12.18 बजे

(एक) एक संसद सदस्य द्वारा अपने उड़ीसा दौरे के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का कथित उल्लंघन के बारे में

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी ने एक संसद सदस्य द्वारा अपने उड़ीसा दौरे के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का कथित उल्लंघन के बारे में निवेदन किया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.58 बजे

(दो) एक रेल परियोजना में कार्य करते समय रेल दुर्घटना में मारे गए कर्मकार के परिवार को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री रामकृपाल यादव ने एक रेल परियोजना में कार्य करते समय रेल दुर्घटना में मारे गए कर्मकार के परिवार को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री नारनभाई रठवा ने उत्तर दिया।

12. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए

अपराह्न 1.12 बजे

15. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा उन किसानों जिन्होंने अपना ऋण समय पर अदा कर दिया है, को नए ऋणों पर रियायत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा ऋण माफी स्कीम का लाभ उन किसानों, जिनके पास 16 एकड़ और 10 एकड़ भूमि क्रमश: सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में है, को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 1.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री महावीर भगोरा द्वारा राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण की लंबित स्कीमों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा पंजाब के उन किसानों, जो सीमा पर बाड़ लगाए जाने के कारण अपनी भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डा॰ वल्लभभाई कथीरिया द्वारा गुजरात में गोंडल-राजकोट-वनकानेर बाउंड्री को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 8-बी पर पूर्वी-पश्चिमी कॉरिडोर के अन्तर्गत ऊपरि पुलों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील द्वारा महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉड बैण्ड इंटरनेट सेवा के लिए जो आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं, को कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डा॰ के॰एस॰ मनोज द्वारा तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय के परंपरागत अधिकारों की संरक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रामजी लाल सुमन द्वारा देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खेती योग्य भूमि के क्षेत्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डा॰ अरुण कुमार शर्मा द्वारा उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में चालू रेल परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थानों के द्वारा किराए पर लिए गए भवनों को सेवा कर से मुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.14 बजे

16. **बजट (सामान्य) — 2008-09**

आबंटित समय	:	12 घंटे
लिया गया समय	:	10 घंटे 33 मिनट
शेष समय	:	1 घंटे 27 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) वर्ष 2008-09 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा।

(दो) वर्ष 2008-09 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की मांगें संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62 64 से 74, 76, 77, 79 से 105

(तीन) वर्ष 2007-08 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें संख्या 1, 2, 4, 5, 7 से 15, 18 से 26, 28 से 33, 35, 39 से 48, 50 से 61, 65, 69, 70, 72, 78 से 87, 89 से 99, 103 और 104

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

(1) श्री शरणजीत सिंह ढिल्लों
(2) श्री थावर चन्द गेहलोत
(3) श्री राहुल गाँधी
(4) श्री ए॰ कृष्णास्वामी
(5) **श्री काशीराम राणा
(6) **श्री वी॰ के॰ ठुम्मर
(7) **श्री जीवाभाई ए॰ पटेल
(8) श्री पी॰ करूणाकरन
(9) **श्रीमती मनोरमा माधवराज
(10) **श्री ब्रह्मानन्द पंडा
(11) श्री रामजी लाल सुमन
(12) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
(13) **श्री सुग्रीव सिंह
(14) **श्री वीरेन्द्र कुमार
(15) श्री राम कृपाल यादव
(16) श्री धर्मेन्द्र प्रधान
(17) श्री के॰ एस॰ राव
(18) **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम
(19) **श्री विजय बहुगुणा
(20) **श्री निहाल चन्द

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(21) **श्री महावीर भगोरा

(22) **डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

(23) श्री राजीव सिंह 'ललन'

(24) **श्री अविनाश राय खन्ना

(25) **श्री भर्तृहरि महताब

(26) प्रो॰ एम॰ रामदास

(27) **श्रीमती सुशीला केरकेटा

(28) श्री मोहन सिंह

(29) **श्री ए॰ साई प्रताप

(30) डा॰ सत्यनारायण जटिया

(31) **श्री गिरधारी लाल भार्गव

(32) श्री एल॰ राजगोपाल

(33) डा॰ रतन सिंह अजनाला

(34) **श्री राशिद जे॰ एम॰ आरुन

(35) डा॰ सुजान चक्रवर्ती

(36) **श्री राम सिंह कस्वां

(37) **श्री एम॰ अप्पादुरई

(38) *डा॰ सी॰ कृष्णन

(39) *श्रीमती किरण माहेश्वरी

(40) **श्री आत्मा सिंह गिल

(41) **श्री पी॰ सी॰ थॉमस

(42) **श्री मोहन जेना

(43) श्री आर॰ प्रभु

(44) **श्री गणेश सिंह

(45) *श्री मुंशी राम

(46) श्री लक्ष्मण सिंह

---

*भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(47) श्री संदीप दीक्षित

(48) **श्री एस॰ के॰ खारवेनथन

(49) **श्री रायापति सांबसिवा राव

(50) **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी

(51) श्री शैलेन्द्र कुमार

(52) श्री असादूद्दीन ओवेसी

(53) **श्री पी॰ एस॰ गढ़वी

(54) *श्री एम॰ शिवन्ना

(55) *श्री सुरेश गणपतराव वाघमारे

(56) *श्री सर्वानन्द सोनोवाल

(57) **श्री नवीन जिन्दल

(58) **श्री चन्द्र भान सिंह

(59) **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी

(60) **श्री हरिभाऊ माधव ज्वाले

(61) *डा॰ वल्लभभाई कथीरिया

(62) **डा॰ अरविन्द शर्मा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सांय 7.59 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 14 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सांय 7.39 बजे से सांय 7.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1044LS(S5)—13-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 14 मार्च, 2008/24 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 289

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 221, 222, 223, 224, 227 और 228 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 225, 226 और 229—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2139—2368 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यों, संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे अनुरोध किया है कि बजट (सामान्य)—2008-2009 के संबंध में आगे जारी सामान्य चर्चा में और सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए तथा वर्ष 2008-2009 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) और वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) से संबंधित सभी आवश्यक प्रश्नों का निस्तारण करने के लिए चर्चा प्रश्न काल के तुरंत पश्चात् कराई जाए, मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश न किया जाए और आज (14.3.2008) के लिए निर्धारित गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य सत्र के अगले भाग में अंतरित कर दिए जाएं।

यदि सभा सहमत हो तो आज कोई भोजनावकाश नहीं होगा। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (संकल्प) जो आज के लिए निर्धारित हैं, को 17 अप्रैल, 2008 के लिए अंतरित कर

दी जाए ताकि सदस्यों, जिनके नाम गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में सूचीबद्ध है, के अधिकारों की रक्षा हो सके।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.03 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कार्य के लिए पारेषण परिसम्पत्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की हिस्सेदारी) विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फाइल सं॰ एल-7/106(122)/सीईआरसी-2007 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 2008-2009 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2008-2009 के लिए विद्युत मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निदेशक (अनुसचिवीय) दिल्ली विकास प्राधिकरण, के 'भर्ती विनियम', 2007 जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 6(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए वित्त मंत्रालय।

(2) वर्ष 2008-2009 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति सचिवालय।

(11) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ओ॰एन॰ 2(अ), जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2005 के आदेश सं॰ 9 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 की धारा 10क की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 283(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 284(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरूणाचल प्रदेश राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 285(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैंड राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 286(अ), जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक परिसीमन कार्य आस्थगित किया गया है।

(15) नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नोटेरी (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 686 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटेरी (संशोधन) नियम, 2008 जो 23 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) वर्ष 2008-2009 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/104/2007, जो 8 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री टी॰ कार्तिकेयन, निदेशक की अध्यक्षता में अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना जो इस संस्थान को प्राप्त शिकायत की किसी सूचना के संबंध में अन्वेषण करने के लिए की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 10ख के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2104(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत विवाद का विनिश्चय करने के लिए एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्यों वाले एक अधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 जो 27 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 111(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 719(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-VI में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 720(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन पर निष्कर्ष और सिफारिशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) वर्ष 2008-2009 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 753(अ) और सा॰का॰नि॰ 754(अ) जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 768(अ) से सा॰का॰नि॰ 770(अ) जो 13 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 68/2007-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 57(अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 741(अ) जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 788(अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 24(अ) जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 33(अ) जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत 539 टैरिफ मदों को अतिरिक्त टैरिफ रियायत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 53(अ) जो 23 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 797(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 799(अ) और सा॰का॰नि॰ 800(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 67(अ) जो 4 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 773(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 113/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 119(अ) से सा॰का॰नि॰ 128(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वित्त मंत्री द्वारा 29 फ़रवरी, 2008 को लोक सभा में की गई घोषणा के अनुसार अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क परिवर्तनों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 68(अ) जो 5 फ़रवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित फ्लग्जिबल स्लैबस्टॉक पॉलियॉल अथवा एफ़एसपी के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखना है ताकि पाटन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिंगापुर और जापान के विरुद्ध पाटन को बराबर किया जा सके जिससे कि अल्पकालीन समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना को खत्म किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 69(अ) जो 5 फ़रवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 120/2002-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 4(अ) जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित मलबरी रॉ सिल्क के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 1 जनवरी, 2009 सहित इस तारीख तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 8(अ) जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 117/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 9(अ) जो 3 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 102/2006-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 12(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 165/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 20(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित ट्रिमेथोप्रिम के आयात पर पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि 21(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 89/2002-सी॰ शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि 28(अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 122/2002-सी॰ शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 29(अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 100/2006-सी॰ शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 52(अ) जो 23 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताइवान, चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित होमोपोलीमर ऑफ विनिल क्लोराईड मोनोमर के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 735(अ) जो 28 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स क्यूइंगदावो लियान चुआंग स्टाक कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित और भारत में आयातित नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक्स के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क से अनंतिम रूप से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 747(अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सेफ्ट्रिआक्सोन सोडियम स्टेराइल के आयात पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 776(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मेसर्स ओश्राम चाइना लाइटिंग, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प्स के भारत में आयात पर 13 फरवरी, 2006 से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा॰ का॰ नि॰ 777(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या 7/2006-सी॰ शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰ का॰ नि॰ 784(अ) जो 20 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 142/2003-सी॰ शु॰ में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰ का॰ नि॰ 798(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित और चीन में आयातित स्टील व्हील्स के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰ का॰ नि॰ 96(अ) जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित फास्फोरिक एसिड, इंडस्ट्रियल ग्रेड सहित टेक्निकल ग्रेड या फूड ग्रेड के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰ का॰ नि॰ 97(अ) जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 104/2007-सी॰ शु॰ को रद्द किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 129(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 40(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 42(अ) जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 54(अ) जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 2/2006-सीई(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (अपराध शमन) संशोधन नियम, 2007 जो 27 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 790(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 743(अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सीई(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 25 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 58(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 81(अ) जो 11 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 45/2001-सीई(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 130(अ) से सा॰का॰नि॰ 142(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा यथाघोषित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन तथा छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 739(अ) जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 740(अ) जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल के उन विनिर्माताओं, जो उसमें उल्लिखित किन्हीं संगठनों में ऐसे माल के निर्यातकों के रूप में पंजीकृत हैं, को प्रदान की गई कराधेय सेवा अर्थात् व्यापार प्रदर्शन सेवा को, संदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के माध्यम से 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2007 जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 791(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 94(अ) जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 148(अ) से सा॰का॰नि॰ 159(अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सेवा कर में कतिपय परिवर्तन किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(29) वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 133 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 55(अ), जो 24 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जनवरी, 2008 को उक्त अधिनियम की धारा 133 के खंड (दो) के प्रयोजन से तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(30) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 41(अ), जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र के आधार पर छूट ले रही इकाइयों द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप विनिर्दिष्ट करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(31) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2007 जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1837(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2015(अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो किसान ग्रामीण बैंक, देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के विलय के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2162(अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो किसान ग्रामीण बैंक, देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(33) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2007 जो 27 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1989(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 18 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 113(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2007 जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(35) अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या डीजीआईटी (एडमिन)/एचआरडी/2007-2008 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आयकर निदेशालय मानव संसाधन विकास, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, के गठन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति दी गई है, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(36) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत बांगिया ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2007 जो 17 नवम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपधारी और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएन/2007/4485 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11/एलसी/जीएम/2007/31/12/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(39) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारत, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(40) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(41) राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)—(2008 का संख्यांक सीए 4) — (अनुपालन लेखापरीक्षा) — सेना और आयुध निर्माणियां।

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल)—(2008 का संख्यांक सीए 2) — स्वायत्तशासी निकाय।

(तीन) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग)—(2008 का संख्यांक सीए 3) — (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(चार) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)—(2008 का संख्यांक सीए 5) — (अनुपालन लेखापरीक्षा) — वायु सेना और नौसेना।

(43) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 16 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 663(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 16 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 664(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपयों में उधार लेना या उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 712(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 713(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, संप्रत्यावर्तन तथा अभ्यर्पण) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 715(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(44) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ''भारतीय स्टेट बैंक द्विशताब्दी वर्ष'' के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ''लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती (1904—2004)'' के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 22 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(45) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 782(अ) जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पान मसाला और तम्बाकू वाले पान मसाला के संबंध में शुल्क के संदाय के लिए एक विशेष प्रक्रिया विहित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को पारित विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को विनियोग (रेल) विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को विनियोग (रेल) सं॰ 2 विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा ने 13 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में 2008 लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को पारित रेल (संशोधन) विधेयक पर बिना संशोधन के सहमत हुई।

(पांच) कि राज्य सभा ने 13 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक-सभा पटल पर रखा गया

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008

7. लोक लेखा समिति के विवरण

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''**विदेशी मुद्रा की वसूली न होना**'' के बारे में 25वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(2) ''**गंगा कार्य योजना**'' के बारे में 26वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(3) ''**स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2002-2003)**'' के बारे में 32वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा);

(4) ''**निधियों के पुनर्विनियोग हेतु मानदंडों की समीक्षा**'' के बारे में 37वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा); और

(5) ''**डीआरडीओ में संयंत्र और उपस्करों की अधिप्राप्ति और उपयोग**'' के बारे में 39वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्री ने विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) ग्रामीण विकास मंत्री ने भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 17 मार्च, 2008 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.15 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री रामजीलाल सुमन ने हज यात्रियों के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में निवेदन किया।

सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, रवि प्रकाश वर्मा, नीरज शेखर और श्रीमती जयाप्रदा सहयोजित हुए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 12.24 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.26 बजे

12. **बजट (सामान्य)—2008-09**

लिया गया समय: 16 घंटे 24 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) वर्ष 2008-2009 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य) मांगें संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77, 79 से 105

(तीन) वर्ष 2007-2008 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें संख्या 1, 2, 4, 5, 7 से 15, 18 से 26, 28 से 33, 35, 39 से 48, 50 से 61, 65, 69, 70, 72, 78 से 87, 89 से 99, 103 और 104

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री खारबेल स्वाईं

(2) **श्री फ्रांसिस के जॉर्ज

(3) **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल

(4) **श्री रमेश दूबे

(5) **श्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा

(6) **डा॰ टोकचोम मैन्या

(7) **श्रीमती जया प्रदा

(8) **श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा

(9) **श्री निखिल कुमार

(10) **डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी

(11) श्री आर॰ एल॰ जालप्पा

(12) **श्री प्रहलाद जोशी

(13) **श्री चन्द्रभान सिंह

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गये।

(14) **श्री अधीर रंजन चौधरी

(15) **श्री राजनारायण बुधौलिया

(16) **श्री सुकदेव पासवान

(17) डा॰ शफीकुर्रहमान वर्क

(18) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

(19) *श्री के॰वी॰ तंगबालु

(20) **श्री हंसराज गं॰ अहीर

(21) श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील

(22) श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

(23) श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा

(24) श्रीमती नीता पटैरिया

(25) **श्री फ्रांसिस फैन्थम

(26) प्रो॰ चन्द्र कुमार

(27) श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी

(28) प्रो॰ रासा सिंह रावत

(29) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य

(30) श्री सीताराम सिंह

(31) श्री धर्मेन्द्र यादव

(32) श्री विक्रम केशरी देव

(33) **श्री किरेन रिजीजू

(34) श्री अरुण यादव

---

*लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

(35) **श्री हरिकेवल प्रसाद

(36) श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार

(37) **श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर

(38) श्रीमती अर्चना नायक

(39) डा॰ रामलखन सिंह

(40) श्री मनोरंजन भक्त

(41) श्री चन्द्रपाल सिंह यादव

(42) *श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

(43) *डा॰ के॰ एस॰ मनोज

(44) श्री हरि सिंह चावड़ा

(45) डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया

(46) डा॰ अरूण कुमार शर्मा

(47) * श्री मंजुनाथ कुन्नुर

(48) *श्री अशोक अर्गल

(49) **श्री सैयद शहनवाज हुसैन

(50) **श्री अशोक कुमार प्रधान

(51) **श्री निखिल कुमार

(52) **श्री रामदास आठवले

श्री पी॰ चिदम्बरम ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांगें सं॰ 1 से 33, 35, 36, 38 से 62, 64 से 74, 76, 77, 79 से 105 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) वर्ष 2008-09 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

---

*लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर रखे गए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अनुपूरक अनुदानों की सभी मांगें सं॰ 1, 2, 4, 5, 7 से 15, 18 से 26, 28 से 33, 35, 39 से 48, 50 से 61, 65, 69, 70, 72, 78 से 87, 89 से 99, 103 और 104 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) वर्ष 2007-08 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

13. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

14. **सरकारी विधेयक—पारित**

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

15. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

विनियोग विधेयक, 2008

16. **सरकारी विधेयक—पारित**

विनियोग विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

कर्नाटक (बजट)—2008-09

17. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

18. **सरकारी विधेयक—पारित**

कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

19. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

कर्नाटक विनियोग विधेयक, 2008

20. **सरकारी विधेयक—पारित**

कर्नाटक विनियोग विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 और अनुसूची स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#सांय 6.44 बजे

(लोक सभा सोमवार, 17 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सांय 6.17 बजे से सांय 6.44 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1088LS(S5)—14-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 17 मार्च, 2008/27 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 290

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 241, 242, 243, 244, 246 और 247 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 245 और 248—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2369—2532 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1)(एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए कृषि मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008–2009 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

(4) शहरी विकास मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2008–2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2007, जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 655(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 13 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 708(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2008 जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (नौवां संशोधन) नियम, 2007 जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिक्षु (सातवां संशोधन) नियम, 2007 जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 696(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए डाक विभाग।

(17) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उपधारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2007, जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 717(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन निर्बन्धन) का अपसारण (संशोधन) आदेश, 2008 जो 28 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 400(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (चौथा संशोधन) नियम, 2007 जो 5 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 749(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1(अ) जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में किसी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित की गई समस्त चीनी पर तत्काल प्रभाव से 15 रुपए प्रति क्विंटल चीनी की दर से उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 392(अ) जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में किसी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित की गई समस्त चीनी पर 1 मार्च, 2008 से चौबीस रुपए प्रति क्विंटल चीनी की दर से उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण अधिसूचित किया गया है।

(36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) का कार्यकरण' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.07 बजे

5. **ध्यानाकर्षण**

श्री संदीप दीक्षित ने बालकों/बालिकाओं के पढ़ाई के बोझ को कम करने और उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए देश में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 12.33 बजे

6. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

ल्हासा में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के मारे जाने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने ल्हासा में तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के मारे जाने के बारे में निवेदन किया—

(1) प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा

(2) श्री रामजी लाल सुमन

(3) श्री योगी आदित्य नाथ

(4) श्री भर्तृहरि महताब

(5) श्री रामदास आठवले

सर्वश्री खारबेल स्वाईं, देवेन्द्र प्रसाद यादव विजय, कृष्ण और थुपस्तन छेवांग सहयोजित हुए।

---

*अपराह्न 12.33 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.04 बजे

7. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री चन्द्रशेखर रेड्डी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को समुचित वेतन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा हुबली-धारवाड़ में ऑटो कलस्टर और गुलबर्गा में महिला उद्यमियों के लिए फूड कलस्टर के विकास के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अधीर चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए एक रेल ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ द्वारा जूनागढ़ और ऊना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने और गुजरात में केसोड सिटी के लिए एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद द्वारा सिंगापुर, मलेशिया और बहरीन में रह रहे अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री एस॰ के॰ खारबेनथन द्वारा तमिलनाडु में डिंगीगुल और केरल में कुमुली के बीच रेल संपर्क सुविधा आरंभ कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर और सोनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29(ई) का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को भारत के पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा गुजरात में औद्योगिक परियोजनाओं को चालू करने की समय सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक 'सूर्य कुण्ड' स्थान का रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री काशी राम राणा द्वारा मगदल्ला और अन्य पत्तनों के विकास के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रम इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डा॰ के॰ एस॰ मनोज द्वारा केरल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वन्डानाम, अलप्पुझा के पास एक ब्लॉक रेलवे स्टेशन स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राजनारायण बुधौलिया द्वारा हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव द्वारा ललितपुर उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों से बेदखल कर दिए गए एक अनुसूचित जाति समुदाय 'सहारिया' के लिए निवास संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार में दानापुर मेन लाईन पर स्थित जमालुद्दीन चक गांव और खगौल नौबतपुर के बीच एक पैदल ऊपरि पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा आठवीं अनुसूची में दी गई समस्त भाषाओं को संघ सरकार की राज भाषा बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री मित्रसेन यादव द्वारा प्रत्यायित पत्रकारों को केन्द्रीय सरकार स्वस्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं फिर से दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण संबंधी उषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री थुपस्तन छेवांग द्वारा 220 के॰ वी॰ पारेषण लाईन के माध्यम से उत्तरी ग्रिड के साथ लद्दाख को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.06 बजे

8. **सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया**

लिया गया समय: 2 घंटे 39 मिनट

श्री मोहन सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

"कि यह सभा 5 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे पैरा 9 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

9. **सरकारी विधेयक—पारित**

चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री शरद पवार ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 8) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री योगी आदित्यनाथ

(2) श्री बालासाहिब विखे पाटील

(3) डा॰ बाबू राव मिडियम

(4) श्री सीताराम सिंह

(5) श्री बृज किशोर त्रिपाठी

(6) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

(7) श्री धर्मेन्द्र प्रधान

(8) डा॰ एम॰ जगन्नाथ

(9) कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)

(10) श्री शैलेन्द्र कुमार

(11) श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील

(12) श्री जसुभाई धानाभाई बारड़

(13) श्री संतोष गंगवार

श्री शरद पवार ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री मोहन सिंह (अपने संकल्प के उत्तर के रूप में बोले।)

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शरद पवार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

10. **सरकारी विधेयक—स्थगित**

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया कि कार्य सूची में शामिल अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008 (मद संख्या 21 और 22) स्थगित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय ने उपर्युक्त सुझाव पर सभा की राय ली।

सभा सहमत हुई।

अपराहन 4.46 बजे

11. **सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया**

लिया गया समय: 2 घंटे 20 मिनट

श्री मोहन सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

> ''कि यह सभा 7 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे पैरा 12 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

12. **सरकारी विधेयक—पारित**

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 11) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्रीमती किरण माहेश्वरी

(2) श्री मधुसूदन मिस्त्री

(3) श्री हन्नान मोल्लाह

(4) श्री तथागत सत्पथी

(5) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

(6) श्री प्रबोध पाण्डा

(7) प्रो॰ रासा सिंह रावत

(8) श्री अधीर चौधरी

(9) श्री वरकला राधाकृष्णन

(10) श्री भर्तृहरि महताब

(11) श्री नन्द कुमार साय

(12) श्री रामदास आठवले

(13) श्री बिक्रम केशरी देव

(14) श्री निखिल कुमार

(15) श्री खारबेल स्वाईं

(16) श्री राम कृपाल यादव

(17) श्री अबु अयीश मंडल

(18) श्री पी॰ एस॰ गढ़वी

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री मोहन सिंह (अपने संकल्प के उत्तर के रूप में बोले।)

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#सायं 7.54 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 18 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

#सायं 7.07 बजे से सायं 7.54 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1148LS(S5)—17-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 18 मार्च, 2008/28 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 291

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 261–264 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 265–280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2533–2731 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

(1) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) खान मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2008 जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 104(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिटयूट, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आबजर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर आबजर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

(33) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग।

(चार) वर्ष 2008-2009 के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग।

(पांच) वर्ष 2008-2009 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

(34) महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) महिला और बाल विकास मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) योजना आयोग के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए गृह मंत्रालय (खंड-I)

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए गृह मंत्रालय (बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-II)

(38) गृह मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के 38वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च, 2008 को जारी उद्घोषणा, जिसके द्वारा नागालैण्ड राज्य के संबंध में उनके द्वारा 3 जनवरी, 2008 को जारी की गई पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, जो 12 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 177(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (परिवहन) और असिस्टेंट कमांडेंट (परिवहन) भर्ती संशोधन नियम, 2007 जो 20 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 722(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग) भर्ती संशोधन नियम, 2007 जो 2 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 5(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अपर महानिदेशक और अपर उप महानिरीक्षक) भर्ती नियम, 2007 जो 30 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(44) उपर्युक्त (43) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा

की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या पचास	तीसरा सत्र, 1992
2. विवरण संख्या छत्तीस	बारहवां सत्र, 1995
3. विवरण संख्या सैंतीस	तेरहवां सत्र, 1995
4. विवरण संख्या उनतीस	पंद्रहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या छत्तीस	दूसरा सत्र, 1996
6. विवरण संख्या बत्तीस	पांचवां सत्र, 1997

बारहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या बयालीस	दूसरा सत्र, 1998
8. विवरण संख्या सैंतीस	तीसरा सत्र, 1998

तेरहवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या उनतालीस	दूसरा सत्र, 1999
10. विवरण संख्या बयालीस	तीसरा सत्र, 2000
11. विवरण संख्या छत्तीस	चौथा सत्र, 2000
12. विवरण संख्या चौंतीस	पांचवां सत्र, 2000
13. विवरण संख्या तैंतालीस	छठा सत्र, 2001
14. विवरण संख्या बयालीस	सातवां सत्र, 2001
15. विवरण संख्या उनतीस	आठवां सत्र, 2001
16. विवरण संख्या अट्ठाईस	नौंवा सत्र, 2002
17. विवरण संख्या चौबीस	दसवां सत्र, 2002
18. विवरण संख्या तेईस	ग्यारहवां सत्र, 2002
19. विवरण संख्या इक्कीस	बारहवां सत्र, 2003
20. विवरण संख्या अठारह	तेरहवां सत्र, 2003
21. विवरण संख्या सत्रह	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

22. विवरण संख्या पंद्रह	दूसरा सत्र, 2004
23. विवरण संख्या तेरह	तीसरा सत्र, 2004
24. विवरण संख्या तेरह	चौथा सत्र, 2005
25. विवरण संख्या दस	पांचवां सत्र, 2005
26. विवरण संख्या नौ	छठा सत्र, 2005
27. विवरण संख्या आठ	सातवां सत्र, 2006 (खंड एक और दो)
28. विवरण संख्या छह	आठवां सत्र, 2006
29. विवरण संख्या पांच	नौवां सत्र, 2006
30. विवरण संख्या चार	दसवां सत्र, 2007
31. विवरण संख्या दो	ग्यारहवां सत्र, 2007
32. विवरण संख्या एक	बारहवां सत्र, 2007

(46) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन, त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन, त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) सेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सेफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सेफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सेफेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) ऑरोविले फाउण्डेशन, ऑरोविले के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑरोविले फाउण्डेशन, ऑरोविले के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ऑरोविले फाउण्डेशन, ऑरोविले के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) पंजाब मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (3) के अंतर्गत चंडीगढ़ मूल्यवर्धित कर नियम, 2006 जो 26 मई, 2006 के चंडीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 978-एफआईआई(8)-2006/2967 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री राजेश वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 4 दिसम्बर, 2007 को हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति "दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन" के बारे में, का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 66वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1)* विदेश मंत्री ने सरबजीत सिंह के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2)**खान मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07 तथा 2007-08) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें तथा 24वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

8. माननीय उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय उपाध्यक्ष ने 14 मार्च, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

#अपराह्न 12.18 बजे

9. सदस्यों द्वारा निवेदन

एक भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह को पाकिस्तान में फांसी की सजा दिए जाने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने भारतीय नागरिक श्री सरबजीत सिंह को पाकिस्तान में मृत्यु दंड दिए जाने के बारे में निवेदन किया:—

(1) श्री सुखदेव सिंह ढींडसा
(2) श्री रूपचन्द पाल
(3) श्री रामजीलाल सुमन
(4) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
(5) प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा
(6) श्री गुरुदास दासगुप्त
(7) श्री मोहम्मद सलीम
(8) श्री बृज किशोर त्रिपाठी

---

* अपराह्न 12.01 बजे।

** अपराह्न 12.14 बजे।

अपराह्न 12.18 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

डा॰ कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य, श्री महावीर भगोरा, श्री धन सिंह रावत, श्री अनंत नायक, श्री गणेश सिंह, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, श्री काशीराम राणा, डा॰ वल्लभभाई कथीरिया, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री रामस्वरूप कोली भी सहयोजित हुए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.52 बजे

10. **ध्यानाकर्षण**

श्री एच॰डी॰ देवेगौडा ने कर्नाटक में तम्बाकू के अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रति खलिहान कोटे में वृद्धि किए जाने और तम्बाकू उत्पादकों को रियायती दरों पर उर्वरक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विभाग में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

(लोक सभा अपराह्न 1.27 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.32 बजे

11. **नियम 377 के अधीन मामले**

(1) चौधरी विजेन्द्र सिंह ने देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात के साबरकंठा जिले में पुलिस फायरिंग में मारे गए जनजातीय परिवारों को प्रधान मंत्री राहत कोष से राहत प्रदान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री दीप गोगोई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नागौन-डिब्रूगढ़ खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) डा॰ सत्यनारायण जटिया ने मध्य प्रदेश के शहरों के लिए रेल संपर्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री कीरेन रिजीजू ने नार्थ-ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेस, शिलांग को सरकारी-निजी भागीदारिता के तहत संचालित किए जाने संबंधी निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा ने गुजरात में राज्य पिपला-अंकलेश्वर और कौशाम्बा-उमरपाड़ा मीटर गेज खण्डों में गेज परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री बिक्रम केशरी देव ने त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सब-स्टेशन की स्थापना के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्रीमती पी॰ सतीदेवी ने देश में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किए जाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत योजनाओं को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री महेन्द्र प्रसाद निशाद ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 'कृषि विज्ञान केन्द्र' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक ने उत्पादन लागत के आधार पर फार्म उत्पाद के मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री प्रबोध पाण्डा ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर-गोकुलपुर खण्ड पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को स्वीकृत किए जाने के अलावा गोकुलपुर और मिदनापुर के बीच में कोशी नदी के ऊपर एक दूसरा पुल का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) डा॰ आर॰ सेनथिल ने तमिलनाडु में होगेनक्कल वन क्षेत्र में एक हाथी अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन ने तमिलनाडु में विरूधुनगर शर्ट डिस्टेंस चार्ज एरिया (एसडीसीए) को दो भागों में बांटे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.51 बजे

12. **सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया**

लिया गया समय: 3 घंटे 46 मिनट

प्रो॰ रासा सिंह रावत ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा 7 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, जैसा कि नीचे पैरा 13 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

13. **सरकारी विधेयक—पारित**

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

डा॰ अंबुमणि रामदास ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 12) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री के॰एस॰ राव
(2) श्रीमती मिनाती सेन
(3) श्री रेवती रमन सिंह
(4) श्री ब्रह्मानन्द पंडा
(5) डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
(6) श्री अधीर चौधरी
(7) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
(8) डा॰ आर॰ सेनथिल
(9) श्री हंसराज गं॰ अहीर
(10) डा॰ करण सिंह यादव
(11) श्रीमती सी॰एस॰ सुजाता
(12) श्री शैलेन्द्र कुमार
(13) श्रीमती सुमित्रा महाजन
(14) श्री एम॰ शिवन्ना
(15) श्री गणेश सिंह
(16) श्री वरकला राधाकृष्णन
(17) श्री प्रबोध पाण्डा
(18) श्री राम कृपाल यादव
(19) श्री रामदास आठवले
(20) श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज
(21) श्री बिक्रम केशरी देव
(22) श्री जे॰एम॰ आरुन रशीद
(23) श्री बृज किशोर त्रिपाठी
(24) डा॰ के॰एस॰ मनोज
(25) श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा
(26) श्री टी॰के॰ हमज़ा
(27) श्री हरिभाऊ राठौड़

डा॰ अंबुमणि रामदास ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अपने संकल्प के उत्तर के रूप में बोले)।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डा॰ अंबुमणि रामदास ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#रात्रि 7.36 बजे

(लोक सभा बुधवार, 19 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

सायं 6.37 बजे से रात्रि 7.36 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

दिनांक 14 मार्च, 2008 के समाचार-भाग 1,

संख्या 289

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 19 के क्र॰सं॰ 9 और 13 में क्रमश: सर्वश्री निखिल कुमार और चन्द्रभान सिंह नामों का **लोप** किया जाए।

दिनांक 17 मार्च, 2008 के समाचार-भाग 1,

संख्या 290

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 8, मद संख्या 7 के क्र॰सं॰ (1) में श्री चन्द्रशेखर रेड्डी **के स्थान पर** श्री चन्द्र शेखर दुबे **पढ़ा** जाए।

MGIPMRND—1186LS(S-5)—18-03-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 19 मार्च, 2008/29 फाल्गुन, 1929 (शक)

संख्या 292

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

उपाध्यक्ष ने तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती टी॰ लक्ष्मी कांथम्मा; ग्यारहवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री वांग्चा राजकुमार; दूसरी लोक सभा की सदस्य श्रीमती माफिदा अहमद; पहली लोक सभा के सदस्य डा. जयंती लाल नरभेराम पारेख और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बलबीर सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 281—284 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 285—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2732—2937 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय।

(2) वर्ष 2008-2009 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय।

(3) वर्ष 2008-2009 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

(4) वर्ष 2008-2009 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

(2) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए वित्त मंत्रालय।

(2) वर्ष 2008-2009 के लिए वित्त मंत्रालय, फ्लैगशिप कार्यक्रम।

(3) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

(9) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए पंचायती राज मंत्रालय।

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय।

(12) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए पंचायती राज मंत्रालय।

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय।

(13) श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15)(एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 64(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 और 23 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I और चयन ग्रेड में पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 65(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 70(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 491(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 जो 21 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22-2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21)(एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22)(एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कोयला मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड I और II), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2016(अ) और का॰आ॰ 2017(अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2225(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 240(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1944(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 350(अ) जो 18 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 289(अ) जो 11 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाइपासों (झांसी-लखनानडोन

खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 383(अ) जो 20 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कटनी बाईपास के प्रयोक्ताओं से प्रति ट्रिप वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2139(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 56(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 1 के चार लेन वाले खण्डों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 57(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 के चार लेन वाले खण्डों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 58(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 (कोसी-आगरा खण्ड) के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 59(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 के चार लेन वाले खण्डों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 80(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 24 (गाजियाबाद-हापुड़ खण्ड) के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 128(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 11 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 319(अ) जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 4 (गब्बुर-देवगिरि खण्ड) के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1599(अ) जो 26 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 67 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए जिला राजस्व अधिकारी, नागपट्टिनम को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1741(अ) तथा का॰आ॰ 1742(अ) जो 12 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1767(अ) से का॰आ॰ 1769(अ) जो 17 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 45 और 45ख के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 1771(अ) से का॰आ॰ 1773(अ) जो 17 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरै खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 1824(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 1825(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-दो) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 1826(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर काथीपाड़ा जंक्शन पर ग्रेड सेपेरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 1827(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर–कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 1831(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर–सेलम–मदुरै से मदुरै–कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 1902(अ) जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर–तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 1903(अ) तथा का॰आ॰ 1904 (अ) जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी–रानीपेट खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताइस) का॰आ॰ 1932(अ) जो 24 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली–विरालीमलाई–मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाइस) का॰आ॰ 1942(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पाण्डिचेरी–टिन्डीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 1943(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 1948(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1949(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1953(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 2079(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 2080 (अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिण्डीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2083 (अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भू-अर्जन) कांचीपुरम को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का०आ० 2084 (अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पाण्डिचेरी-टिण्डीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का०आ० 2085 (अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का०आ० 2106 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का०आ० 2107 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का०आ० 2109 (अ) तथा का०आ० 2110 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का०आ० 2111(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का०आ० 2136(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला

बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2155(अ) तथा का॰आ॰ 2156(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मुदरै-अरूप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का॰आ॰ 2181(अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-दो)के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 2220(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का॰आ॰ 2221(अ) तथा का॰आ॰ 2222(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(29) उपर्युक्त (28) की मद सं॰ (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए अंतरिक्ष विभाग।

(31) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग।

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए अंतरिक्ष विभाग।

(32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1960 (अ) जो 19 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पंजाब, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2126 (अ) जो 13 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पुडुचेरी, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 162 (अ) जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 48 (अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जम्मू और कश्मीर, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 2019 (अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छः) का॰आ॰ 49 (अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(सात) का॰आ॰ 2228 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 671 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(34) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2125 (अ)जो 13 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि दून घाटी में विकास से संबंधित सभी प्रस्तावों की उसमें उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा जांच की जाएगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38)* प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39)* प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40)* विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41)* विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42)* निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

(दो) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

(43)* निम्नलिखित मंत्रालयों की परिणामी बजट की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

(दो) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

(44)* कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

* अपराह्न 4.00 बजे।

(45)* कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46)* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47)* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48)* नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49)* कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(50)* उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51)* नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52)* नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53)* विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 760(अ) में प्रकाशित हुए थे।

---

* अपराह्न 4.00 बजे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 778(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 5 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसम्पत्तियों का प्रेषण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 91(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 92(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत्य पूंजीगत खाता संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 5 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(54)* सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) ''खादी और ग्रामोद्योग आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह'' के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पचास रुपए एवं पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 470(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ''खादी और ग्रामोद्योग आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह'' के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 660(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55)** (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के

---

* अपराह्न 4.00 बजे।

** अपराह्न 4.21 बजे।

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56)** (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57)** (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कारपेट टेक्नॉलाजी भदोही के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कारपेट टेक्नॉलाजी भदोही के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58)** (एक) मैन-मेड टेक्सटाईल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाईल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59)** उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60)** वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61)** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम,

---

** अपराह्न 4.21 बजे।

2007 जो 26 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क तथा अन्य प्रभारों को लगाना) विनियम, 2007 जो 26 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (व्यवसाय संचालन, शिकायतों की प्राप्ति और उनकी जांच) विनियम, 2007 जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 744(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(62)** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63)** इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64)** इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 2008 को पारित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 2008 को पारित विनियोग विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 2008 को पारित कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 2008 को पारित कर्नाटक विनियोग विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा 18 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को पारित परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

** अपराह्न 4.21 बजे।

(छह) कि राज्य सभा 18 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को पारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(सात) कि राज्य सभा 18 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 2008 को पारित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(आठ)* कि राज्य सभा ने 19 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित कर दिया है।

(नौ)# कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 2008 को पारित चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

***6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक — सभा पटल पर रखा गया**

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

7. विभागों से संबद्ध स्थायी समिति — एक समीक्षा

महासचिव ने 'विभागों से संबंद्ध स्थायी समिति (2006-2007)—एक समीक्षा' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 117वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

महासचिव ने जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में 8 से 10 अक्तूबर, 2007 को हुई अंतर-संसदीय संघ की 117वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन का (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की याचिका जिसमें उन्होंने आईडीपीएल के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समकक्ष केन्द्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) में अतिरिक्त अनुग्रह राशि का संदाय किए जाने का अनुरोध किया है, के बारे में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 37वां प्रतिवेदन।

---

* अपराह्न 2.15 बजे।

अपराह्न 4.49 बजे।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) तथा रेल मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

10. **महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण**

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'विदेश में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने 'जाली जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर प्राप्त किए गए रोजगार से उत्पन्न स्थिति' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. **रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

(1) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 'रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2007-08)' के बारे में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) 'हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी सत्ताइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक

समीक्षा' के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

13. **वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री काशीराम राणा ने व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 84वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3)$ विदेश मंत्री ने श्री सरबजीत सिंह के मामले पर आगे वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.12 बजे

15. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) मणिपुर में हिन्दी भाषी लोगों की हत्या किए जाने के बारे में।

निम्नलिखित सदस्यों ने मणिपुर में हिन्दी भाषी लोगों की हत्या किए जाने के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री रामजीलाल सुमन
(2) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
(3) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
(4) श्री प्रभुनाथ सिंह
(5) श्री मोहम्मद सलीम
(6) श्री गुरूदास दासगुप्त
(7) श्री बृज किशोर त्रिपाठी
(8) श्री रमेश दूबे
(9) श्रीमती रंजीत रंजन

$ अपराह्न 2.23 बजे।

अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(10) श्री निखिल कुमार
(11) श्री पी॰सी॰ थामस

श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रो॰ रासा सिंह रावत, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री संतोष गंगवार, श्री मोहन सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री अविनाश राय खन्ना और श्री कीरेन रिजीजू सहयोजित हुए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

(दो) *संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में:—*

निम्नलिखित सदस्यों ने संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री प्रभुनाथ सिंह
(2) श्री रघुनाथ झा
(3) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.07 बजे

16. **नियम 377 के अधीन मामले**

(1) श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' ने पर्यावरण और वनों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को दो भागों में विभक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री हरीभाऊ जावले, ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 'कापरा' रोग के फैलने से जिन किसानों की केले की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, उनको वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री महावीर भगोरा, ने राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए निधियां जारी करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक की धारवाड़ उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरूर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर के॰एम॰ 390 पर एक अंडर पास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री बची सिंह रावत 'बचदा', ने उत्तराखण्ड के उन गन्ना उत्पादकों जिनकी फसलें पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री अजय कुमार ने केरल के एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था 'केरल कलामंडलम' को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री रामजीलाल सुमन ने विश्व विरासत स्थल ताजमहल के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री प्रभुनाथ सिंह ने बिहार के विशेष रूप से छपरा और सिवान जिलों में जल भराव को रोकने और नदियों से गाद निकालने के लिए एक केन्द्रीय परियोजना स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन ने राष्ट्रीय बचत स्कीम को ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्2य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(10) डा. अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा 'एम्स,' नई दिल्ली की तर्ज पर करनाल में एक मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल की स्थापना में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री जीवाभाई ए॰ पटेल, द्वारा गुजरात में मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहमदाबाद-खेदब्रह्मा-अम्बाजी और हरजी-राधनपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री वी॰के॰ ठुम्मर, द्वारा अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'नाबार्ड' द्वारा किसानों को राजसहायता दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री बागुन सुम्बरूई द्वारा कारखानों में कठोर सुरक्षा उपाय लागू किए जाने और औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मधु गौड़ यास्खी द्वारा आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री श्रीपाद येसो नाईक द्वारा सरकारी विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों को शासित करने वाले नियमों/विनियमों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰ करूणाकरन द्वारा केरल को केन्द्रीय पूल से बिजली के कोटे की बहाली किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती जयाप्रदा द्वारा रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कोशी और गंगा नदियों पर पुलों के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री सुग्रीव सिंह द्वारा राँची-भुवनेश्वर गरीब रथ शरू किए जाने और खुर्दा रोड, बोलांगीर रेल लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील द्वारा महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पार्ली रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री सनत कुमार मंडल द्वारा देश में बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*17. **बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा**

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण मुझे सभा को सूचित करना है कि जैसाकि कार्य मंत्रणा समिति की आज (19.03.2008 को) हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, गुरुवार, 20 मार्च, 2008 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द की जाए।

आशा है, सभा इससे सहमत होगी।''

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 2.24 बजे

लिया गया समय: 2 घंटे 20 मिनट

18. **सरकारी विधेयक — पारित**

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्रीमती सुमित्रा महाजन
(2) श्रीमती कृष्णा तीरथ
(3) श्रीमती पी॰ सतीदेवी
(4) श्री शैलेन्द्र कुमार
(5) श्री राम कृपाल यादव
(6) श्री ए॰ कृष्णास्वामी
(7) श्री सुग्रीव सिंह
(8) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
(9) श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे
(10) श्री प्रबोध पाण्डा
(11) श्रीमती रूपाताई डी॰ पाटील
(12) श्री एम॰ शिवन्ना
(13) श्री वरकला राधाकृष्णन
(14) श्रीमती किरण माहेश्वरी
(15) श्रीमती प्रतिभा सिंह
(16) श्रीमती करुणा शुक्ला

---

*अपराह्न 2.31 बजे।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.50 बजे

लिया गया समय: 27 मिनट

19. **सरकारी विधेयक — पारित**

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008।

श्री पी॰आर॰ किन्डिया ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

(1) श्री कीरेन रिजीजू
(2) श्री मधुसूदन मिस्त्री
(3) श्री बसुदेव आचार्य
(4) श्री बृज किशोर त्रिपाठी
(5) श्री तापिर गाव

श्री पी॰ आर॰ किन्डिया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ आर॰ किन्डिया ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 5.18 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1222LS—19.03.2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 15 अप्रैल, 2008/26 चैत्र, 1930 (शक)

संख्या 293

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **मंत्रियों का परिचय**

प्रधानमंत्री ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा॰ एम॰ एस॰ गिल; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी॰ नारायणसामी; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संतोष बागड़ोदिया; भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रघुनाथ झा; जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डा॰ रामेश्वर उरांव; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया; और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद का परिचय कराया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने दूसरी लोक सभा के सदस्य श्री बिजय चन्द्रसिंह प्रधान और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

3. **प्रश्न**

(एक) सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 321—340 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3168—3365 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(दो) 20 मार्च, 2008 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 301—320 के उत्तरों को अतारांकित प्रश्न माना गया, चूंकि उस दिन के लिए नियत सभा की बैठक रद्द हो गई थी।

20 मार्च, 2008 के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 301—320 के उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2938—3167 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

4. **राष्ट्रपति का संदेश**

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें माननीय राष्ट्रपति से 6 मार्च, 2008 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

''25 फरवरी, 2008 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं।''

5. **लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र**

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें श्री पूर्णो अगिटोक संगमा, जो मेघालय के तुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं, का 10 मार्च, 2008 का पत्र 18 मार्च, 2008 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और उन्होंने उनका त्याग-पत्र 20 मार्च, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

पूर्वाह्न 11.32 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1519LS(S5)—15-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 अप्रैल, 2008/27 चैत्र, 1930 (शक)

संख्या 294

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने उस दु:खद घटना, जिसमें एक बस बडोदरा, गुजरात के निकट बोडेली स्थित नर्मदा नहर में गिर गई जिसके कारण लगभग 41 बच्चों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए, के बारे में उल्लेख किया।

सभा की ओर से, अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना, सहानुभूति और दु:ख व्यक्त किया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 341, 342, 343, 345, 347, 350, 351 और 353 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 344, 346, 348, 349, 352 और 354—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3366—3551 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाईन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाईन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) 11 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार अद्यतन की गई विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स (वॉल्यूम-I) 2004—2009 (11 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार अद्यतन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 56, जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ॰एन॰ 26(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जून, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश सं॰ 49 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या ओ॰एन॰ 11(अ), जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 282/केटी/2007-खण्ड V का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) जनसंख्या स्थिरता कोष (नेशनल पॉपुलेशन स्टेबेलाइजेशन फंड), नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 जो 10 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22-2007 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 11 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या डीई-22-2007 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।

(21) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 351(अ) जो 18 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (मेरठ-मुजफ्फरनगर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 164(अ) जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1950(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु-केरल बार्डर) (वालायार-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1951(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वनियम्पारा-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1952(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वालायार-त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 282(अ) जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13, 17 और 48 के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 335(अ) जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 सितम्बर, 2007, की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1535(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का॰आ॰ 1899(अ) जो 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नेलामंगला-हासन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1900(अ) जो 8 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबागल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1929(अ) जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (मुलाबागल-कोलार-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 415(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1741(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 528(अ) जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 [इटावा से सिकन्दराबाद (कानपुर-देहात)] के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(22) उपर्युक्त (21) की मद संख्या (तीन से पांच और आठ से दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 2008, जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 201(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2008, जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 83(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 428(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2008 जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या आईजी/प्रशा॰(जी)/रजिस्ट्रार/2003/753 जो 7 अप्रैल, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 5(7) के उपखंड (ख) और (घ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या आईजी/प्रशा॰(जी)/एसटी10क/2003/950 जो 22 सितम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 10क के खंड (1) (12) में कतिपय संशोधन परिवर्धन किए गए हैं।

(31) (एक) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

प्रो॰ राम गोपाल यादव ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 37वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 38वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 39वां प्रतिवेदन;

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

6. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री निखिल कुमार ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

(5) डाक विभाग में भू-संपदा प्रबंधन के बारे में समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

7. **रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बालासाहिब विखे पाटील ने 'रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. **विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह बघेल ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

9. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 67वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 68वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 69वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 70वां प्रतिवेदन; और

(5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

10. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग (खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

11. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने वर्ष 2008-09 के लिए रेल मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मोहम्मद सलीम ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति का 32वां प्रतिवेदन।

13. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 25वां प्रतिवेदन; और

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

14. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण सिंह ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

(2) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

15. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ सत्यनारायण जटिया ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 31वां प्रतिवेदन;

(दो) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 32वां प्रतिवेदन; और

(तीन) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

16. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री काशीराम राणा ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 85वां प्रतिवेदन; और

(2) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 86वां प्रतिवेदन।

17. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ रतन सिंह अजनाला ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 130वां प्रतिवेदन;

(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 131वां प्रतिवेदन;

(3) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 132वां प्रतिवेदन; और

(4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 133वां प्रतिवेदन।

18. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री रूपचंद पाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 47वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.08 बजे

19. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूचना और प्रसारण मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुआ घाटा' के बारे में श्री जी॰ करूणाकर रेड्डी, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के 4.12.2007 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आयुष विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 22वें और 23वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

* अपराह्न 12.30 बजे

20. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हरि सिंह चावड़ा द्वारा बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री फुरकान अंसारी द्वारा झारखंड के गोड्डा और देवघर जिलों में बाढ़-प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री के॰ सी॰ सिंह 'बाबा' द्वारा उत्तराखंड में एलपीजी और किरोसिन की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से गुजरती तथा अलवर, राजस्थान को रेवाड़ी, हरियाणा से जोड़ने वाली सड़कों की उचित मरम्मत और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जीवाभाई ए॰ पटेल द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा की कृषि उपज विपणन समिति को आय कर से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री महावीर भगोरा द्वारा राजस्थान में वर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का हिस्सा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री पुन्नू लाल मोहले द्वारा छत्तीसगढ़ में विलासपुर-मांडला को मध्य प्रदेश में जबलपुर से जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक सदस्यों ने अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले उठाए।

(8) श्री अनंत नायक द्वारा नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रेस को बरास्ता क्योंझरगढ़ चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा 'सर्वशिक्षा अभियान' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का अंश बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जुएल ओराम द्वारा दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच बरास्ता वाराणसी उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री पी॰ मोहन द्वारा तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित मेलूर तालुक में एक केन्द्रीय पालिटेकनीक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता द्वारा केरल में जिन किसानों की फसलें भारी वर्षा के कारण बर्बाद हो गई हैं, उन्हें राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा बुंदेलखंडी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती जयाप्रदा द्वारा रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) एडवोकेट तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील द्वारा महाराष्ट्र में चीनी मिलों को लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मोहन जेना द्वारा पशुओं के विरुद्ध क्रूरता को रोकने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परंपरागत बैलगाड़ियों को आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी चौबीस परगना जिले से गुजरती इच्छामती नदी की गाद निकालने तथा उसके प्रवाह को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) प्रो॰ एम॰ रामदास द्वारा पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अवसंरचना विकास के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री सिप्पीपाराई रविचंद्रन द्वारा तमिलनाडु में शिवकासी और श्रीविल्लीपुत्तूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे समपार सं॰ 427 पर सड़क ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.30 बजे

21. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 6 घंटे 52 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. श्री सचिन पायलट
3. श्री बसुदेव आचार्य
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
6. श्री रमेश दुबे
7. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
8. श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे
9. श्री खारबेल स्वाईं
10. श्री संदीप दीक्षित
11. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
12. श्री पी॰ चिदम्बरम
13. प्रो॰ एम॰ रामदास
14. श्रीमती किरण माहेश्वरी
15. *श्री पी॰ सी॰ थामस
16. श्री मधुसूदन मिस्त्री
17. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
18. श्री के॰ येरननायडु

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19. श्री अविनाश राय खन्ना

20. *श्री गणेश सिंह

21. *श्रीमती बोत्चा झांसी लक्ष्मी

श्री शरद पवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सांय 7.23 बजे

22. **बजट (रेल) — 2008-2009**

उपलब्ध समय : 6 घंटे
लिया गया समय : 49 मिनट
शेष : 5 घंटे 11 मिनट

बजट (रेल) 2008-2009 के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16 पर चर्चा आरंभ हुई।

छह कटौती प्रस्ताव (संख्या 127 से 132) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा
2. श्री एस० के० खारवेनथन
3. श्री सुधांशु सील
4. श्री मोहन जेना
5. श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे
6. श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटील

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.12 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 17 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—1580LS(S5)—16-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 17 अप्रैल, 2008/28 चैत्र, 1930 (शक)

संख्या 295

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 362, 365, 367, 368, 370, 371, 372 और 373 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 361, 363, 364, 366, 369 और 374—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3552—3779 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाइन्स) सामान्य (संशोधन) नियम, 2008 जो 29 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा (64) की उपधारा (2) के अधीन ऑफिस ऑफ दि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) ऑफिस ऑफ दि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसैबिलिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) बिको लॉरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) बालमेर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2007 जो 17 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बिछाने, निर्माण करने, परिचालन करने या शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार हेतु कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 196(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए नेटवर्क टैरिफ तथा सीएनजी के लिए कंप्रेसन

प्रभार का अवधारण) विनियम, 2008 जो 19 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए अनन्यता) विनियम, 2008 जो 19 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 198(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. **विधेयकों पर अनुमति**

महासचिव ने 26 फरवरी, 2008 को सभा द्वारा दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के पहले भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 11 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

1. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2008;
2. विनियोग (रेल) विधेयक, 2008;
3. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2008;
4. चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008;
5. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008;
6. विनियोग विधेयक, 2008;
7. कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008;
8. कर्नाटक विनियोग विधेयक, 2008;
9. खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008;
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008; और
11. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008

5. **रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन**

प्रो॰ रासा सिंह रावत ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'सामरिक महत्व की नई लाइनों पर किए जाने वाले आमान परिवर्तन के कार्यों के संबंध में सामरिक महत्व की नई लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध रियायतों को दिया जाना' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) '2005-2006 से पूंजी निधि का पुन: प्रवर्तन' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने 'वस्त्र मिलों की रुग्णता/बंद रहना' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

8. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मोहम्मद सलीम ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय के "संपदा निदेशालय" विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति का 29वां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के "समन्वित निम्न लागत स्वच्छता स्कीम (आईएलसीएस)" विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति का 30वां प्रतिवेदन।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री संदीप दीक्षित ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 35वां प्रतिवेदन;

(दो) भूमि-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 36वां प्रतिवेदन;

(तीन) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 37वां प्रतिवेदन; और

(चार) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ टोकचोम मैन्या ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों 2008-2009 (मांग संख्या 57) के बारे में 206वां प्रतिवेदन; और

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2008-2009 (मांग संख्या 58) के बारे में 207वां प्रतिवेदन।

11. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ पी॰पी॰ कोया ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 132वां प्रतिवेदन;

(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2007 के बारे में समिति का 133वां प्रतिवेदन; और

(3) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति का 134वां प्रतिवेदन।

12. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री वायालार रवि ने कार्य मंत्रणा समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 21 अप्रैल, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

14. **प्रस्ताव**

श्री रूपचंद पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 16 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 47वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराह्न 12.37 बजे

लिया गया समय: 4 घंटे 27 मिनट

15. **बजट (रेल) — 2008-2009**

2008-2009 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 16 पर आगे चर्चा जारी रही।

16.4.2008 को 6 कटौती प्रस्ताव (संख्या 127 से 132) पेश किए गए थे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गणेश प्रसाद सिंह
2. श्री के॰ सुब्बारायण
3. **श्री गणेश सिंह
4. श्री लक्ष्मण सिंह
5. श्री मदन लाल शर्मा
6. श्री शंखलाल माझी

#अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 12.37 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

7. श्री प्रसन्न आचार्य
8. श्री तापिर गाव
9. डा॰ टोकचोम मैन्या
10. श्री इलियास आजमी
11. श्री अलकेष दास
12. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
13. **डा॰ करण सिंह यादव
14. श्री प्रकाश भगवंतराव जाधव
15. *डा॰ एम॰ जगन्नाथ
16. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
17. श्री बिक्रम केशरी देव
18. श्री भर्तृहरि महताब
19. श्री हरिकेवल प्रसाद
20. श्री मोहम्मद ताहिर खान
21. प्रो॰ रासा सिंह रावत
22. श्री प्रभुनाथ सिंह
23. श्री मधुसूदन मिस्त्री
24. डा॰ के॰ एस॰ मनोज
25. डा॰ कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य
26. **श्री एस॰ मल्लिकार्जुनैया
27. प्रो॰ एम॰ रामदास
28. श्री हरिभाऊ राठौड़
29. **श्री कीरेन रिजीजू

श्री लालू प्रसाद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

2008-2009 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 16 वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के कॉलम 4 के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

16. **सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित**

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2008

17. **सरकारी विधेयक — पारित**

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2008

श्री लालू प्रसाद द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, 3 तथा अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री लालू प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.12 बजे

18. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 34वें और 35वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव**

श्रीमती अर्चना नायक ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:

''कि यह सभा 5 और 12 मार्च, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमश: 34वें और 35वें प्रतिवेदनों से सहमत है।''

श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव निम्नलिखित संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ:—

''कि यह सभा 5 और 12 मार्च, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमश: 34वें और 35वें प्रतिवेदनों से, इस परिवर्तन के अध्यधीन सहमत है कि श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन के संविधान (संशोधन) विधेयक 2008 *(नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)* को समिति को, उक्त विधेयक के संबंध में 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उनकी सिफारिश के पुनर्विचार के लिए वापस सौंपा जाए।''

अपराह्न 4.15 बजे

19. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—अस्वीकृत

श्री राम कृपाल यादव द्वारा 31 अगस्त, 2007 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क, अनिवार्य और एक-समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन

(2) श्री के॰ एस॰ राव

(3) प्रो॰ एम॰ रामदास

(4) श्री बिक्रम केशरी देव

(5) कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)

श्रीमती डी॰ पुरन्देश्वरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.37 बजे

20. गैर-सरकारी सदस्यों का संकलप—विचाराधीन

श्री हरिभाऊ राठौड़ ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''यह सभा अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और बंजारों सहित यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की दुर्दशा पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और बंजारों सहित यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में:—

(एक) शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करने;

(दो) राज्य के अधीन सेवाओं में पदों का आरक्षण करने; और

(तीन) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण करने,

का उपबंध करने के लिए उपयुक्त विधान लाए और उनके समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.40 बजे

(लोक सभा सोमवार, 21 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1624LS(S5)—17-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 अप्रैल, 2008/1 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 296

पूर्वाह्न 11.02 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 381, 383, 385, 388, 390, 391 और 392 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 382, 384, 386, 387, 389 और 393—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3780—4009 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(4) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 15 जून, 2006 को जेनेवा में अपने 95वें सत्र में रोजगार संबंधों के बारे में स्वीकृत सिफारिश संख्या 198 संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टैपिओका सागो श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2007 जो 22 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 193 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सत्तु श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2007 जो 3 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 230 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिकाकाई श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 2 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 66(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती प्रतिभा सिंह ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

5. **समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री किरिप चालिहा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत श्री रघुनाथ झा की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर **उनके स्थान पर** वर्ष 2008-09 के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. **प्रस्ताव**

श्री रूपचन्द पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 17 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.33 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री जीवाभाई ए० पटेल ने ओएनजीसी द्वारा भूमि के अर्जन के बदले में किसानों को दी गई प्रतिपूरक धनराशि पर लगाए गए टीडीएस को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री वी०के० ठुम्मर ने अमरेली, गुजरात और मुम्बई के बीच एक सीधी पैसेंजर गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(3) श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए कार्यादेश जुटाने और इसके कर्मकारों के सभी लंबित बकाया राशि को अदा किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री संतोष गंगवार ने देश के अन्य महानगरों के समकक्ष बरेली में बुनियादी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) श्री अविनाश राय खन्ना ने देश में बेरोजगार युवाओं को मौद्रिक भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) श्रीमती सी०एस० सुजाता ने प्रधान मंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का केरल में कुट्टानाड तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) श्रीमती जयाप्रदा ने 22 नवंबर, 2007 को रामपुर, उत्तर प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर ने गुजरात में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) डा० अरुण कुमार शर्मा ने असम में गैर-सहायता प्राप्त सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूलों को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.03 बजे से 12.33 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, जो सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना गया:—

(1) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा राजस्थान में भरतपुर-अलवर-बहरोड को हरियाणा में नारनोल से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 14 की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री एस॰ के॰ खारवेनथन द्वारा ई॰आई॰ टैन्ड लेदर पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा शिपमेंट और रासायनिक अवशिष्ट, जिसके कारण अंकलेश्वर, गुजरात में प्रदूषण तथा समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है, को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा देश में बीड़ी कर्मकारों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री ए॰ वी॰ बेल्लारमिन द्वारा ऋण माफी योजना को 29.2.2008 तक लिए गए सभी कृषि ऋणों पर लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामजीलाल सुमन द्वारा इंडियन ऑयल रिफाइनरी, मथुरा से वातावरण में छोड़ी गई सल्फर-डाय-ऑक्साइड के उत्सर्जन मानदंडों की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ई॰ जी॰ सुगावनम द्वारा अफगानिस्तान में कार्य कर रहे भारतीयों को समुचित सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) एडवोकेट तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील द्वारा परभनी, महाराष्ट्र में कपास आधारित उद्योग तथा टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री देवीदास पिंगले द्वारा महाराष्ट्र में नासिक रोड रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री मोहन जेना द्वारा जाजपुर, उड़ीसा में धार्मिक महत्व के स्थान नावी गया में सड़क और रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.47 बजे

8. बजट (सामान्य) अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 6 घंटे 28 मिनट

वर्ष 2008-2009 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 51—55 और 95—99 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

*1. श्री योगी आदित्यनाथ
(सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई)

2. श्री किरिप चालिहा

3. श्री रामजी लाल सुमन

4. श्री मोहम्मद सलीम

5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

6. श्री भर्तृहरि महताब

7. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी

8. श्री ए॰ के॰ एस॰ विजयन

9. श्री प्रभुनाथ सिंह

10. श्री अनंत गंगाराम गीते

11. श्रीमती परमजीत कौर, गुलशन

12. श्री कीरेन रिजीजू

13. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा

14. श्री इलियास आजमी

15. प्रो॰ एम॰ रामदास

16. श्री वरकला राधाकृष्णन

17. प्रो॰ रासा सिंह रावत

18. चौधरी लाल सिंह

---

*उन्होंने अपना भाषण सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् पूरा किया।

19. श्री हितेन बर्मन
20. श्री मणि चारेनामै
21. श्रीमती करुणा शुक्ला
22. डा॰ टोकचोम मैन्या
23. श्री टी॰ के॰ हमजा
24. श्री बृज किशोर त्रिपाठी

*25. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी

**26. डा॰ के॰ एस॰ मनोज

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 51—55 और 95—99 (राजस्व लेखा और पूंजीगत दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

रात्रि 8.19 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)।

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

MGIPMRND—1677LS(S5)—21-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 अप्रैल, 2008/2 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 297

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **शपथ**

तीन सदस्यों ने निम्नानुसार शपथ ली, सदस्यों की पंजिका में हस्ताक्षर किए तथा सभा में अपने स्थान ग्रहण किए:

हिन्दी में 2

अंग्रेजी में 1

2. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.08 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई)

3. **प्रश्न**

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 401—420 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4010—4179 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाईटी इंडिया, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत भारतीय प्रसारण (अभियन्ता) सेवा (संशोधन) नियम, 2008 जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 187(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत एनसीटीई, स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' भर्ती नियम, 2008 जो 21 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 5-5/2007/एनसीटीई/इस्टैबलिशमेंट में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 780(अ) जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें डा॰ अबुसलेह शरीफ के स्थान पर डा॰ संजीव मिश्रा को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 14 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1937(अ)

में कतिपय संशोधन करने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008, जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 40(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) ऑफिस ऑफ द कन्ट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाईन्स, ट्रेडमार्क्स, मुंबई के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) पीईसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-09 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(19) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल, के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (सदर्न रीजन), चेन्नई, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (इस्टर्न रीजन), कोलकाता, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (इस्टर्न रीजन), कोलकाता, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नार्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी, इटानगर, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ-इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी, इटानगर, के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, राँची, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, राँची, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, जयपुर, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, जयपुर, के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, वारंगल, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, वारंगल, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, कुरुक्षेत्र, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37)(एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, नागपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, नागपुर, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, राउरकेला, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, राउरकेला, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, कालीकट, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, कालीकट, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, रूड़की, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, रूड़की, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, रूड़की, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45)(एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, खड़गपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, खड़गपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, खड़गपुर, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, सिलचर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) नियम, 2008 जो 14 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 87(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गुरुदास कामत ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन।

8. **रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री बसुदेव आचार्य ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच की सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'चल रही और लम्बित परियोजनाओं' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) 'रेलवे की दसवीं पंचवर्षीय योजना' के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(3) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2006-07' के बारे में 26वां प्रतिवेदन; और

(4) 'रेल उत्पादन इकाइयों, कर्मशालाओं और चल स्टॉक का रखरखाव' के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

9. **जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री आर० सांबासिवा राव ने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

अध्यक्ष ने 17 अप्रैल, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

11. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07 और 2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के क्रमश: 157वें, 172वें और 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 68वें, 72वें, 76वें, 79वें, 80वें, और 82वें, प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

12. **ध्यानाकर्षण**

श्री बसुदेव आचार्य ने आसनसोल, झरिया ओर रानीगंज में संपूर्ण कोयला पट्टी में भूमि के धंसान से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों की ओर कोयला मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 1.18 बजे

13. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए अनुदान जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जसुभाई डी बारड़ द्वारा गिर (पश्चिम) वन क्षेत्र के निवासियों तथा उनके सभी वंशजों को जनजातीय दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री पुन्नुलाल मोहले द्वारा छत्तीसगढ़ तथा देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक तथा समग्र विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.37 बजे से अपराह्न 1.18 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा जालौन संसदीय निर्वाचन् क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री पी॰एस॰ गढ़वी द्वारा गुजरात में सामुद्रिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान में अजमेर तक उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी आवास सोसायटी से लघु और सीमांत किसानों के द्वारा लिए गए आवास ऋण को ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री स्वदेश चक्रवर्ती द्वारा भारतीय सर्वेक्षण में कर्मचारियों के संवर्ग-पुनर्गठन संबंधी प्रतिवेदन को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, देवरिया, उत्तर प्रदेश में नगर निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एलपीजी एजेन्सी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा मशरक, जिला सारण, बिहार में केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री के॰ येरननायडु द्वारा इस्पात के बढ़ते मूल्यों को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ सी॰ थामस द्वारा डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर द्वारा किए गए योगदानों को उजागर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 1.21 बजे

14. **बजट (सामान्य) अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय: 5 घंटे 36 मिनट

वर्ष 2008-2009 के लिए रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 19 से 26 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. ले॰ जन॰ (सेवानिवृत्त) तेज पाल सिंह रावत, पीवीएसएम, वीएसएम

2. श्री अधीर चौधरी
3. श्री रूपचन्द पाल
4. श्री मोहन सिंह
5. श्री गणेश प्रसाद सिंह
6. श्री इलियास आजमी
7. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
8. डा॰ रतन सिंह अजनाला
9. श्रीमती एम॰एम॰के॰ भवानी राजेन्तीरन
10. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन
11. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
12. श्री के॰एस॰ राव
13. डा॰ के॰एस॰ मनोज
14. श्री शैलेन्द्र कुमार
15.** श्री पी॰एस॰ गढ़वी
16. श्री मानवेन्द्र सिंह
17. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
18. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
19. श्री अविनाश राय खन्ना
20.* श्री जे॰ एम॰ आरुन रशीद
21. प्रो॰ एम॰ रामदास
22. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
23. डा॰ करण सिंह यादव
24. श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर
25. चौधरी लाल सिंह
26. श्री कीरेन रिजीजू

श्री ए॰ के॰ एंटनी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*अपने भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर भी रखा।

रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 19 से 26 (राजस्व लेखा और पूंजीगत दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगों-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.57 बजे

(लोक सभा बुधवार, 23 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1716LS(S5)—22-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 23 अप्रैल, 2008/3 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 298

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 421, 423, 424, 425, 426, और 428 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 422, 427 और 429—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4180—4337 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद), नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद), नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2008 जो 28 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ टयूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ टयूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 235 (अ) जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 अप्रैल, 2008 को पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

(1) ''भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन'' के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ''वित्तीय सहायता का प्रावधान और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक कारीगरों का संरक्षण'' के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ एम॰ जगन्नाथ ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(2) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009)' के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री आर॰ सांबासिवा राव ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश प्रसाद सिंह ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 208वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री चन्द्रभूषण सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री एन॰ जोती, सदस्य, राज्य सभा के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक सदस्य निर्वाचित करे तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री टी॰आर॰ बालू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के उपनियम 2 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2)(क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन श्री प्रकाश परांजपे, जिनका निधन हो गया है के स्थान पर राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.31 बजे

12. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा देश में मधुमेह (डायबिटीज) के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा जिन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय हैं, उन केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत कोटे की सीटों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुनील खां द्वारा सूचना का अधिकार, 2005 को सही मायने में कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डा॰ के॰ एस॰ मनोज द्वारा बीएसएनएल, केरल में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिकों (एक्स सर्विस मेन) को सुरक्षा गाड्‌र्स के रूप में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री प्रसन्न आचार्य द्वारा सम्जाबलपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.32 बजे

13. **बजट (सामान्य)—अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय: 8 घंटे 26 मिनट

वर्ष 2008-2009 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 80 से 82 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री काशीराम राणा
2. श्रीमती प्रतिभा सिंह

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.31 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. **श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
4. **श्री रशीद जे॰एम॰ आरुन
5. श्री हन्नान मोल्लाह
6. श्री हरिकेवल प्रसाद
7. **श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा
8. श्री राम कृपाल यादव
9. **श्रीमती के॰ रानी
10. श्रीमती रंजीत रंजन
11. श्री के॰ सी॰ पल्लानी शामी
12. श्री मोहम्मद ताहिर खान
13. **श्री अविनाश राय खन्ना
14. श्री ब्रहमानन्द पंडा
15. श्री चन्द्रकांत खैरे
16. श्री प्रभुनाथ सिंह
17. श्री प्रबोध पाण्डा
18. श्री सुभाष महरिया
19. श्री जय प्रकाश (हिसार)
20. **श्री संजय धोत्रे
21. श्री ई॰ पोन्नुस्वामी
22. श्री लक्ष्मण सिंह
23. डा॰ तुषार ए॰ चौधरी
24. श्री अबु अयीश मंडल
25. श्री इलियास आजमी
26. **श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा
27. *श्री निहाल चन्द
28. कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)
29. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन
30. श्री चन्द्रभूषण सिंह
31. श्री सीताराम सिंह
32. **प्रो॰ एम॰ रामदास

**लिखित भाषण सभा पर रखे गए।

*उन्होंने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

33. प्रो॰ महादेवराव शिवनकर
34. **श्री ए॰वी॰ बेल्लारमिन
35. श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन
36. श्री के॰वी॰ तंगबालु
37. *श्रीमती करुणा शुक्ला
38. श्री विजय बहुगुणा
39. श्री मुन्शी राम
40. **श्री बापू हरि चौरे
41. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
42. श्रीमती सी॰एस॰ सुजाता
43. **श्री सुनील खां
44. श्री प्रसन्न आचार्य
45. श्री रावसाहेब दानवे पाटील
46. **श्री महावीर भगोरा
47. श्री धर्मेन्द्र प्रधान
48. श्री रामदास आठवले
49. *श्री गणेश सिंह
50. डा॰ राम लखन सिंह
51. *श्री बिक्रम केशरी देव
52. डा॰ वल्लभभाई कथीरिया

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 81 से 82 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांगों—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

रात्रि 8.58 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 24 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰डी॰टी॰ आचारी,
महासचिव।

**लिखित भाषण सभा पर रखे गए।

*उन्होंने लिखित भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

MGIPMRND—1758LS—23-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 24 अप्रैल, 2008/4 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 299

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 441, 453, 454 और 458 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 442—452, 455—457, 459 और 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4338—4548 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. **सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—(2008 का संख्यांक सीए 11)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—(2008 का संख्यांक सीए 9)—सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन—अनुपालन लेखापरीक्षा।

(2) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिर्सोसेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिर्सोसेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोन कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियां, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल ट्रस्ट फार द वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिजैबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फार द वेल्फेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिजैबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) टॉयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(25) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तेरह) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 23 अप्रैल, 2008 को हुई अपनी बैठक में जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 पारित कर दिया है।

5. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008।

6. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने ''केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के॰ लो॰ नि॰ वि॰) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन'' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. **महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में महिलाओं की कार्य स्थिति' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.03 बजे

8. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पी॰ करुणाकरण द्वारा केन्द्रीय पूल से केरल को बिजली का कोटा बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री राजनरायन बुधौलिया द्वारा सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने और स्कूलों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित सीटों का कोटा बढ़ाऐ जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा चायल में भरवारी और सिरायु रेलवे स्टेशनों को चौरी-चौरा एक्सप्रेस, सियालदाह-दिल्ली एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के लिए हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र में नये चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट (कोंकण क्षेत्र) में मछुआरों के सामने आ रही समस्याओं की जांच के लिए एक समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील द्वारा महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पार्ली रेलवे लाईन के निर्माण का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.05 बजे

9. **बजट (सामान्य)—2008-2009—अनुदानों की मांगें**

लिया गया समय: 4 घंटे 05 मिनट

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 59 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. श्री देवब्रत सिंह

3. श्री पी॰ करुणाकरण
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री ई॰जी॰ सुगावनम
6. श्री राम कृपाल यादव
*7. श्री एम॰ अप्पादुरई
*8. श्री कीरेन रिजीजू
9. श्री तथागत सतपथी
10. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
11. श्री अजय चक्रवर्ती
12. श्रीमती करूणा शुक्ला
13. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन
14. श्रीमती मीना सिंह
15. प्रो॰ एम॰ रामदास
16. श्रीमती जयाप्रदा
17. श्रीमती रंजीत रंजन
*18. श्री एस॰के॰ खारवेनथन
*19. श्री दीप गोगोई
*20. डा॰ सिबैस्टियन पॉल
21. श्रीमती कृष्णा तीरथ
22. डा॰ रामकृष्णा कुसमरिया
*23. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा
24. श्री मोहन रावले
*25. श्री प्रबोध पांडा
*26. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
*27. डा॰ सत्यनारायण जटिया

---
*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सं॰ 59 (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांग—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

(दो) सायं 6.00 बजे निम्नलिखित अनुदानों की बकाया मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) वर्ष 2008-2009 के लिए अनुदानों की मांग—बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए सभा में मतदान के लिए रखी गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:—

(1) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 3

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4 और 5

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 और 7

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 से 14

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15 और 16

(9) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18

(11) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27

(12) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(13) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29

(14) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30

(15) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 31 से 33, 35, 36 और 38 से 44

(16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45

(17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 48

(18) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 और 50

(19) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56

(20) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58

(21) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60

(22) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 और 62

(23) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(24) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(25) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(26) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(27) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(28) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(29) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(30) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71

(31) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(32) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(33) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74

(34) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 76

(35) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 77

(36) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 79

(37) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 से 85

(38) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86 और 87

(39) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(40) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 89

(41) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 90

(42) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 91

(43) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(44) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(45) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(46) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100 से 102

(47) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 103

(48) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 104

(49) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 105

सायं 6.10 बजे

10. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2008

11. **सरकारी विधेयक—पारित**

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2008

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.12 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1796LS—24-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008/5 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 300

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 461, 462, 463, 465, 466, 467, 469 और 470 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 468 और 471—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4549—4778 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस इन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन) रेगुलेशन, 2008 जो 7 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय प्लाटों के विकास के लिए शुल्क/प्रभार) विनियम, 2006 जो 20 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1992 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण (परिसरों के मिश्रित उपयोग तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रभारों का नियतन) विनियम, 2006 जो 20 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1993(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰ आ॰ 1015(अ) जो 22 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1993(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार 5 प्रतिशत विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत किए गए आवंटन के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत राजवित्तीय वर्ष 2007-2008 की तीसरी तिमाही के दौरान बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(9) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों का 1 जनवरी, 2006 से 31 दिसंबर, 2006 तक की समयावधि तक निष्पादन से संबंधित 36वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत दिल्ली स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड समामेलन आदेश, 2007 जो 27 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1038(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अधीन अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 423(अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1038(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ग के अंतर्गत जारी प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1/1/2008/सीएलवी जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं के संगत उपबंधों में संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अधीन कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2008 जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(15) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 की धारा 68 की उपधारा (3) के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) नियम, 2007 जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 679(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 8 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 75(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2007 जो 24 नवम्बर, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीडब्ल्यूपीएम: 10475:078:वीआरआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

---

*अपराह्न 12.13 बजे।

(दो) सिक्युरिटी प्रिटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 160 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग तीन वर्ग चार कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2008 जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 15 (अ) जो 9 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा मुम्बई और चेन्नई में नए ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की अधिसूचना जारी की गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 16 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 294 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 118 (अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 23/2006-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 163 (अ) जो 4 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 35/2001-के॰उ॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 184 (अ) जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 282 (अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 143 (अ) से सा॰का॰नि॰ 147 (अ) जो 1 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 2008 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार तथा छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 107(अ) जो 25 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 114/2007-सी॰शु॰ को रद्ध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 161(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले फेनोल के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 162(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 19 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 105/2007-सी॰शु॰ को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 174(अ) जो 11 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन, चीनी ताइपेई, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदभूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले एसीटोन के भारत में आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 179(अ) जो 13 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, थाईलैण्ड, यूनाइटेड अरब अमीरात और वियतनाम में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले कम्पैक्ट डिस्क-रिकार्डेबल के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 180(अ) जो 14 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 16 मार्च, 2009 तक उसके समेत प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 202(अ) जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 11/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 210(अ) जो 26 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया और चीनी ताइपे में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रॉक्साइड के आयात पर, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 26 मार्च, 2009 तक तथा उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाना।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 211(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतर में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित कॉस्टिक सोडा के आयात पर, पदनामित प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों में संस्तुत दरों पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना जारी रखना है।

(दस) सा॰का॰नि॰ 267(अ) जो 7 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के आयातों पर, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांच के सम्पन्न होने तक, 31 मार्च, 2009 तक तथा उसके समेत, प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(29) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 168(अ) जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 183(अ) जो 17 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 200(अ) जो 20 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 259(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 281(अ) जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(30) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 386(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 में विनिर्दिष्ट सभी कर योग्य सेवाओं को, जो, भारत में विदेशी राजनयिक मिशन में या कौन्सुलर पद पर पदस्थ अधिकारियों के सरकारी प्रयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई हों, उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा-कर से छूट प्रदान करना है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 15 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 434(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 387(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 में विनिर्दिष्ट सभी कर योग्य सेवाओं को, जो, भारत में विदेशी राजनयिक मिशन में या कौन्सुलर पद पर पदस्थ राजनयिक एजेंटों अथवा कैरियर कौन्सुलर अधिकारियों के निजी प्रयोग के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई हों, पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा-कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 388(अ) जो 23 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 260(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(31) उपर्युक्त (30) के मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 5 फरवरी, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 243(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 267(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड 48 के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित विवरणों सहित बांड को 'जीरो कूपन बांड' के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2007-2008 के दौरान लिए गए बाजार ऋणों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 546(अ) जो 24 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1282(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 20 मार्च, 2008, को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और उक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया:—

1. श्री नंदी येल्लैया
2. श्री जेसुदासु सीलम
3. डा॰ राधाकांत नायक
4. सुश्री अनुसुईया उइके

5. श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि
6. श्री महेन्द्र साहनी
7. श्री बृजभूषण तिवारी
8. श्री थॉमस संगमा
9. श्री वीर सिंह
10. श्री तिरुची सिवा

(दो) कि 20 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक लेखा समिति में सहयोजित हाने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और निम्नलिखित सदस्यों के नाम की सूचना भी दी जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए।

1. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन
2. श्री राशिद अल्वी
3. श्री बी॰ के॰ हरिप्रसाद
4. श्री शांता कुमार
5. डा॰ के॰ मलयसामी
6. श्री तरलोचन सिंह
7. श्री प्रशांत चटर्जी

(तीन) कि 20 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की लोक उपक्रमों संबंधी समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और निम्नलिखित सदस्यों के नाम की सूचना भी दी जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए:—

1. श्री आर॰ के॰ धवन
2. श्री विजय कुमार रुपानी
3. श्री के॰ चन्द्रन पिल्लै

4. श्री अमर सिंह

5. श्री शरद अनंतराव जोशी

6. श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्ता

7. श्री राहुल बजाज

5. **लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) ''सुनामी राहत और पुनर्वास'' के बारे में 67वां प्रतिवेदन।

(2) ''लघु उद्योगों के लिए निमित्त रियायत का बड़े उद्योग विनिर्माताओं द्वारा उपयोग करने के बारे में लोक लेखा समिति के 41वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 68वां प्रतिवेदन।

6. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री रूपचंद पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण—राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), चरण-एक के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन।

(2) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त डब्ल्यू एल एल सेवाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 28वां प्रतिवेदन।

7. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण**

श्री रूपचंद पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण—मुद्रा विनियम काउंटर के प्रचालन के लिए लाइसेंस जारी करने में हुए विलंब की वजह से हुई राजस्व हानि के बारे में समिति के 13वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण; और

(2) स्वास्थ्य बीमा—एक समस्तरीय अध्ययन के बारे में समिति के 18वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

8. **कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

प्रो॰ राम गोपाल यादव ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 13वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 14वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 15वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2005-2006)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2005-2006) के 16वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2006-2007) के 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2006-2007) के 24वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(7) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2006-2007)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2006-2007) के 25वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 33वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(9) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 34वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(10) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 35वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2007-2008)' के संबंध में कृषि संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर समिति (2007-2008) के 36वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

9. **मंत्री द्वारा वक्तव्य**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

10. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से 28 अप्रैल, 2008 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.14 बजे

11. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को आवंटित खाद्यान्न के कोटे की बहाली के बारे में—

श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल को आवंटित खाद्यान्न के कोटे की बहाली के बारे में निवेदन किया।

श्री पी॰ सी॰ थामस, श्री फ्रांसिस के॰ जार्ज, श्री रूपचन्द पाल, श्री पी॰ करुणाकरण, एडवोकेट सुरेश कुरुप, श्रीमती सी॰ एस॰ सुजाता, एडवोकेट पी॰ सतीदेवी, श्री रामगोपाल यादव, श्री मोहन सिंह, श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन और श्री बसुदेव आचार्य सहयोजित हुए।

विदेश मंत्री ने निवेदन का उत्तर दिया।

अपराह्न 12.53 बजे

*12. **सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

वित्त विधेयक, 2008

आवंटित समय: 8 घंटे
लिया गया समय: 2 घंटे 37 मिनट
शेष समय : 5 घंटे 23 मिनट

श्री पी॰ चिदंबरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

#अपराह्न 12.14 बजे से अपराह्न 12.53 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री खारबेल स्वाईं
2. श्री रूपचंद पाल
3. श्री मोहन सिंह
4. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी

*5. श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी

6. श्री बिक्रम केशरी देव (**भाषण अपूर्ण रहा**)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

13. **प्रस्ताव**

श्री मधुसूदन मिस्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 23 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

14. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित**

(1) **श्री एल राज गोपाल** का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007, (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

(2) **श्री एल राज गोपाल** का संसद की कार्यवाही में व्यवधान (सदस्यों को दैनिक भत्ते के हक से वंचित करना और सदस्यता समाप्त करना) विधेयक, 2008

(3) **श्री बसुदेव आचार्य** का बीमा अभिकर्ता कल्याण विधेयक, 2007

(4) **एडवोकेट सुरेश कुरुप** का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 73 का संशोधन)

(5) **श्री हंसराज गं॰ अहीर** का ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2008

---

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

(6) **श्री हंसराज गं अहीर** का विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2008

(7) **श्री हंसराज गं अहीर** का आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता (सेवाओं का नियमितीकरण और अन्य प्रसुविधाएं) विधेयक, 2008

(8) **श्री हंसराज गं अहीर** का कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2008

(9) **श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन** का राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (गारंटी) विधेयक, 2008

(10) **श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन** का श्रमजीवी हाथी (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2008

(11) **श्री अवतार सिंह भडाना** का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 (अनुसूची का संशोधन)

(12) **श्री प्रबोध पाण्डा** का नयूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 3 का संशोधन)

(13) **श्री हरिभाऊ राठौड़** का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

(14) **श्री हरिभाऊ राठौड़** का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

(15) **श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन** का केरल उच्च न्यायालय तिरुवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2008

(16) **श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन** का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (11वीं अनुसूची का संशोधन)

(17) **डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** का स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2008 (धारा 2, आदि का संशोधन)

(18) **श्री मोहन सिंह** का घेरलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2008

(19) **श्री मोहन सिंह** का बाढ़ नियंत्रण विधेयक, 2008

(20) **श्री एल॰ राजगोपाल** का अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2 का संशोधन)

(21) **डा॰ के॰ एस॰ मनोज** का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

(22) **श्री अनंत कुमार हेगड़े** का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(23) **श्री अनंत कुमार हेगड़े** का अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2008 (धारा 2 और 6 का संशोधन)

अपराह्न 3.45 बजे

15. **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन**

निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006

श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन द्वारा 30 नवंबर, 2007 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री खारबेल स्वाईं
2. श्री मोहन सिंह
3. श्री गुरुदास दासगुप्त
4. श्री संदीप दीक्षित
5. डा॰ के॰ एस॰ मनोज
6. डा॰ सत्यनारायण जटिया
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. प्रो॰ एम॰ रामदास (**भाषण अपूर्ण रहा**)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*16. **कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का 49वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

#सायं 6.03 बजे

(लोक सभा सोमवार, 28 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

---

*सायं 5.19 बजे

#सायं 6.00 बजे से सायं 6.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1871LS—25-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 28 अप्रैल, 2008/8 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 301

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्रीहरिकोटा, आन्ध्र प्रदेश से 28 अप्रैल, 2008 को 10 सेटेलाइटों के नए कीर्तिमान के साथ पोलर सेटेलाइट लांच व्हिकल (पीएसएलवी-सी 9) के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और इससे जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी।

*अपराह्न 11.37 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 481 और 484 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 482, 483 और 485—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4779—4954 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

* पूर्वाह्न 11.02 बजे से पूर्वाह्न 11.36 बजे तक प्रश्न काल के दौरान सभा में व्यवधान रहा।

(2) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 152(अ) जो 28 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007 को प्रवर्तन में लाने हेतु 1 फरवरी, 2008 की तारीख नियत की गई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3456 जो 8 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय स्थापनाओं को उस वर्ग की स्थापनाओं के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिन पर उक्त अधिनियम लागू होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 254(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) पहला संशोधन आदेश, 2007 जो 3 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2069 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश, 2007 जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1873 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का॰आ॰ 1353 (अ) जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1121(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंज्युमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) वॉइस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉइस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 117(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 29 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2007-2008 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 166(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2005-2006 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 165(अ)/आ॰व॰/गन्ना जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2006-2007 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टेलिकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अन्तर्गत दूर संचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (संशोधन) विनियम, 2008 जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 15-2/2008-आरई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 238(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 25 अप्रैल, 2008 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित कर दिया है।

6. **राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अविवेकपूर्ण रूप से अनुदान जारी किया जाना'' के बारे में 69वां प्रतिवेदन।

(2) ''निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय-चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट'' के बारे में लोक लेखा समिति के 49वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 70वां प्रतिवेदन।

(3) ''मांगों को अंतिम रूप देने में विलम्ब'' के बारे में लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 71वां प्रतिवेदन।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ पी॰ पी॰ कोया ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 135वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 136वां प्रतिवेदन।

(3) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 137वां प्रतिवेदन।

(4) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 138वां प्रतिवेदन।

(5) मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में 139वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 14वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) श्रम और रोजगार मंत्री ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री ने भारत के पोलर सेटेलाईट लांच व्हिकल (पीएसएलवी-सी 9) द्वारा 10 सेटेलाईटों के सफल प्रक्षेपण के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. **प्रस्ताव**

श्री वायालार रवि ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 25 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.26 बजे

11. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री जीवाभाई ए॰ पटेल द्वारा ओएनजीसी द्वारा तेल और गैस निकाले जाने के पश्चात् भूमि को उसके असली मालिकों को वापस किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री डी॰ नरबुला द्वारा बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की घोषणा नेपाली भाषा में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एस॰के॰ खारबेनथन द्वारा वैक्सिन मैन्यूफैकचरिंग पाश्चर इंस्टीट्यूट, कुन्नूर, बीसीजी वैक्सिन लेबोरेटरीज, चेन्नई और सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली, हिमाचल प्रदेश को बंद किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ करण सिंह यादव द्वारा राजस्थान में भिवाड़ी-अलवर मार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री बी॰के॰ ठुम्मर द्वारा गुजरात के अमरेली और भावनगर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और लहसुन की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.26 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(7) श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शाहजहांपुर शहर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 3 पर एक बाईपास मार्ग और मक्षी रेलवे क्रॉसिंग पर एक रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरिभाऊ राठौर द्वारा बड़े शहरों में उपचार के लिए यात्रा करने वाले सिकल सेल के रोगियों को रेल किराए में रियायत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री दुश्यंत सिंह द्वारा झालवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री महावीर भगोरा द्वारा राजस्थान के जिन किसानों की फसलें बेमौसम वारिस और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई है उन्हें आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री काशी राम राणा द्वारा गुजरात के आनंद जिले के करमसाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ के॰एस॰ मनोज द्वारा सहकारी बैंकों को धारा 80 पी के अंतर्गत आयकर में राहत दिए जाने और सहकारी जमाराशि पर धारा 80सी के अंतर्गत छूट भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री शांताश्री चटर्जी द्वारा औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1942 की धारा 2 (जे) के अनुसार सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रामजी लाल सुमन द्वारा देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री चन्द्रभूषण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 29 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री राम कृपाल यादव द्वारा विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से पुरस्कृत पुलिस अधिकारियों को यात्रा में रियायत और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री सी॰ कुप्पुसामी द्वारा पूरे देश में 'मई दिवस' को सवैतनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दो नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) एडवोकेट रेंगे पाटील तुकाराम गणपतराव द्वारा महाराष्ट्र में 'लखोडी' दाल के उत्पादन से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) प्रो॰ एम॰ रामदास द्वारा 1995 से चल रही पहली पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मकारों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.27 बजे

12. **सरकारी विधेयक–विचाराधीन**

वित्त विधेयक, 2008

आवंटित समय: 8 घंटे
लिया गया समय: 7 घंटे 43 मिनट
शेष: 17 मिनट

श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा 25 अप्रैल, 2008 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बिक्रम केशरी देव (भाषण पुन: आरंभ हुआ)

*2. श्री निखिल कुमार

(सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री हरिन पाठक
5. श्री गुरुदास दासगुप्त
6. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
7. श्री राजीव रंजन 'ललन' सिंह
8. श्री राम कृपाल यादव
9. श्री रेवती रमन सिंह

---

*सभा के पुन: समवेत होने पर उन्होंने अपना भाषण पूरा किया।

10. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
11. श्री के॰सी॰ पलानिसामी
12. श्री नवीन जिन्दल
13. श्री हंसराज जी॰ अहीर
14. श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज
15. प्रो॰ एम॰ रामदास
16. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल
17. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन
18. श्री रामदास बंडु आठवले
19. श्री वरकला राधाकृष्णन
20. श्रीमती के॰ रानी
21. डा॰ के॰ एस॰ मनोज
22. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी
23. श्री हरिभाऊ राठौड़
24. श्री हरिसिंह चावड़ा
25. श्री तूफानी सरोज

चर्चा पूरी नहीं हुई

सांय 6.33 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 29 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—1919LS—28-04-2008.

दिनांक 25 अप्रैल, 2008 के समाचार–भाग 1
के
संख्या 300
का शुद्धि पत्र

पृष्ठ 16, पंक्ति 2 के पश्चात् ''2. श्री संदीप दीक्षित'' जोड़ा जाए तथा क्रमांक 2 से 6 को क्रमांक 3 से 7 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 29 अप्रैल, 2008/9 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 302

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 502—506 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 501 और 507—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4955—5122 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) वर्ष 2007-08 के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा (अप्रैल—सितम्बर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 237 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2008 जो 17 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 892(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. **प्राक्कलन समिति का विवरण**

श्री सी॰ कुप्पुसामी ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग — बीमा प्रभाग) से संबंधित ''समाज के कमजोर वर्गों के लिए बीमा योजनाओं'' के बारे में प्राक्कलन समिति के 15वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

5. **लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

श्री खगेन दास ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)'' के बारे में 72वां प्रतिवेदन;

(दो) ''खाद्यान्न का प्रबन्धन'' के बारे में 73वां प्रतिवेदन; और

(तीन) ''विलंगम प्रभार से अनुचित छूट'' के बारे में लोक लेखा समिति के 33वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 74वां प्रतिवेदन।

6. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्री रूपचन्द पाल ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड—व्यापक जांच के बारे में 26वां प्रतिवेदन;

(दो) एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया—संरक्षा और सुरक्षा पहलु के बारे में 29वां प्रतिवेदन; और

(तीन) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

7. **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के विवरण**

श्री के॰वी॰ तंगबालु ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय—दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 42वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट की-गई-कार्यवाही संबंधी अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 43वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(3) विदेशी प्रिंट मीडिया का प्रवेश तथा प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के बारे में 61वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क (एसटीपी) योजना (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय — सूचना प्रौद्योगिक विभाग) के कार्यान्वयन के बारे में 10वें

की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौहदवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) डाक नेटवर्क का कार्यकरण और विस्तार (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय—डाक विभाग) के बारे में 33वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय—दूरसंचार विभाग) के बारे में 36वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(7) प्रसार भारती (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के कार्यकरण के बारे में 38वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौहदवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय—डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 39वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(9) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय—दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 40वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(10) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 41वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर को दर्शाने वाला विवरण।

(11) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 42वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में

अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर को दर्शाने वाला विवरण।

8. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2007-2008) का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री स्वदेश चक्रवर्ती ने उद्योग संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 204वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 205वां प्रतिवेदन।

(3) लघु उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में समिति के 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 206वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में समिति के 199वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 207वां प्रतिवेदन।

(5) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में समिति का 208वां प्रतिवेदन।

(6) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में समिति का 209वां प्रतिवेदन।

(7) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम एस एम ई) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में समिति का 210वां प्रतिवेदन।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ सुजान चक्रवर्ती ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 185वां प्रतिवेदन;

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 186वां प्रतिवेदन;

(3) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 187वां प्रतिवेदन;

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 188वां प्रतिवेदन;

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 189वां प्रतिवेदन;

(6) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 190वां प्रतिवेदन;

(7) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 191वां प्रतिवेदन।

11. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 25वां प्रतिवेदन;

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 26वां प्रतिवेदन;

(3) न्याय मिलने में होने वाले विलंब: न्यायालयों में लंबित मामले के बारे में की गई कार्यवाही उत्तर के संबंध में 27वां प्रतिवेदन।

12. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने 25 अप्रैल, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक टिप्पणी की।

13. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) सूचना और प्रसारण मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित रेल संबंधी स्थायी समिति के 32वें, 33वें तथा 34वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 74वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

14. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2008

*अपराह्न 12.30 बजे

15. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री एल॰ राजगोपाल द्वारा निजी कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कम बजट वाले यात्री और निजी विमानों को दी गई छूटों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री जे॰ एम॰ आरून रशीद द्वारा देश में मानव तस्करी पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ द्वारा गुजरात में हीराकोट, सुतरापारा और धामलेज समुद्र तटों पर पक्के घाटों (जेट्टीज) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हंसराज गं॰ अहीर द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) प्रो॰ रासा सिंह रावत द्वारा राजस्थान में गरीबी रेखा से ऊपर (ए पी एल) वर्ग के लोगों के लिए गेहूं के कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अविनाश राय खन्ना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से वसूल किए गए राजस्व का एक हिस्सा गांवों के विकास के लिए पंचायतों को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री शिशुपाल एन॰ पटले द्वारा 'महाराष्ट्र राज्य बुनकर महामंडल' के छंटनी किए गए कामगारों की बहाली के अतिरिक्त बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विधान लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री श्रीचन्द कृपलानी द्वारा 'जोधा अकबर' फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री एन॰ एन॰ कृष्णदास द्वारा केरल में मालापुझा बांध स्थल और उद्यान परियोजना के पुनरुद्धार की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सलेमपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक और बिलथारा रोड के दक्षिण की ओर एक ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गिरिधारी यादव द्वारा बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री प्रसन्न आचार्य द्वारा उड़ीसा के भील समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और दांतन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के दोनों और संपर्क मार्गों और सुरक्षा जालियों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री मुंशी राम द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, धुर्वा, झारखण्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन के बकायों का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डा॰ एम॰ जगन्नाथ द्वारा आन्ध्र-प्रदेश के महबूब नगर जिले में डा॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किए जाने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एस॰ के॰ बैसीमुथियारी द्वारा असम सरकार को बोडो मीडियम वेंचर स्कूलों के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.30 बजे

16. **सरकारी विधेयक — पारित**

वित्त विधेयक, 2008

लिया गया समय: 9 घंटे 5 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा 25 अप्रैल, 2008 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे:—

(1) रायापति सांबासिवा राव

(2) श्री शैलेन्द्र कुमार

(3) श्री पी॰सी॰ थॉमस

(4) डा॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी

श्री पी॰ चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 4, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 4क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 4क भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 4ख के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 4ख भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 और 10 स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 10क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 15, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 से 19 स्वीकृत हुए।

खण्ड 20, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 से 24 स्वीकृत हुए।

खण्ड 25, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 से 28 स्वीकृत हुए।

खण्ड 29, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 और 31 स्वीकृत हुए।

खण्ड 32, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 से 35 स्वीकृत हुए।

खण्ड 36, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 37 से 39 स्वीकृत हुए।

खण्ड 40, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 41 से 45 स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 45क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 45क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46 और 47 स्वीकृत हुए।

खण्ड 48, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 49 से 51 स्वीकृत हुए।

खण्ड 52, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 53 से 57 स्वीकृत हुए।

खण्ड 58, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 59 स्वीकृत हुआ।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खण्ड 59क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 59क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 60 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 61, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 62 से 71 स्वीकृत हुए।

खण्ड 72, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 73 से 120 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची, यथा संशोधित स्वीकृत हुई।

चौथी से छठी अनुसूची स्वीकृत हुई।

सातवीं अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

आठवीं और नौवीं अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी॰ चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 1.52 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.50 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.50 बजे

17. **सांविधिक संकल्प — स्वीकृत**

लिया गया समय : 5 मिनट

श्री शिवराज वि॰ पाटील ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 2007 को जारी उद्घोषणा को 20 मई, 2008 के प्रभाव से और छह महीने की अवधि तक जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।''

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.55 बजे

18. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय : 3 घंटे 31 मिनट

जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

डा॰ अंबुमणि रामदास द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कीरेन रिजीजू
2. श्री एस॰ के॰ खारवेनथन

3. डा॰ रामचन्द्र डोम
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
6. श्रीमती अर्चना नायक
7. श्री एम॰ अप्पादुरई
8. श्री वीरचन्द्र पासवान
9. प्रो॰ एम॰ रामदास
10. श्री तापिर गाव
11. श्री फ्रांसिस फैन्थम
12. श्री फ्रांसिस के॰ जॉर्ज
13. डा॰ बाबू राव मिडियम
14. डा॰ करण सिंह यादव
15. श्री रघुराज सिंह शाक्य
16. श्री राम कृपाल यादव
17. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
18. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
19. डा॰ के॰ एस॰ मनोज
20. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु
21. श्री रामदास आठवले

डा॰ अंबुमणि रामदास ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 32 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डा॰ अंबुमणि रामदास ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.05 बजे

(लोक सभा बुधवार, 30 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

*सायं 06.26 बजे से 7.05 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

MGIPMRND—1959LS(S5)—29-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 30 अप्रैल, 2008/10 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 303

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री अनंतराव पाटिल और सातवीं, नौंवी, दसवीं, ग्यारहवीं और बाहरवीं लोक सभा के सदस्य प्रो॰ सुधीर कुमार गिरि के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 521, 522, 524, 525, 526 और 529 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 523, 527, 528 और 530—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 5123—5261 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या जी-27038/1/98-टीएएमपी जो 19 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या जी-27038/1/98-टीएएमपी को निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) नॉर्थ इस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन ई एच एच डी सी) और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् विनियम, 2007 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ(दो)/12(13)/2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 25 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 206(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) दूसरा संशोधन नियम, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या सैंतीस	सातवां सत्र 1993
2.	विवरण संख्या छत्तीस	आठवां सत्र 1993

ग्यारहवीं लोक सभा

3.	विवरण संख्या छत्तीस	तीसरा सत्र 1996
4.	विवरण संख्या तैंतीस	चौथा सत्र 1997
5.	विवरण संख्या सैंतीस	पाचवां सत्र 1997
6.	विवरण संख्या सत्ताईस	छठा सत्र 1997

बारहवीं लोक सभा

7.	विवरण संख्या अड़तीस	चौथा सत्र 1999

तेरहवीं लोक सभा

8.	विवरण संख्या तैंतालीस	तीसरा सत्र 2000
9.	विवरण संख्या तीस	आठवां सत्र 2001
10.	विवरण संख्या उनतीस	नौवां सत्र 2002
11.	विवरण संख्या पच्चीस	दसवां सत्र 2002
12.	विवरण संख्या बाईस	बारहवां सत्र 2003
13.	विवरण संख्या उन्नीस	तेरहवां सत्र 2003
14.	विवरण संख्या अठारह	चौहदवां सत्र 2003

चौदहवीं लोक सभा

15. विवरण संख्या सोलह	दूसरा सत्र, 2004
16. विवरण संख्या चौदह	तीसरा सत्र, 2004
17. विवरण संख्या चौदह	चौथा सत्र, 2005
18. विवरण संख्या ग्यारह	पांचवां सत्र, 2005
19. विवरण संख्या दस	छठा सत्र, 2005
20. विवरण संख्या नौ	सातवां सत्र, 2006
21. विवरण संख्या सात	आठवां सत्र, 2006
22. विवरण संख्या छह	नौवां सत्र, 2006
23. विवरण संख्या पांच	दसवां सत्र, 2007
24. विवरण संख्या तीन	ग्यारहवां सत्र, 2007
25. विवरण संख्या दो	बारहवां सत्र, 2007

(22) (एक) एनीमल वेल्फयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनीमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री एन॰एन॰ कृष्णदास ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अक्तूबर-नवम्बर, 2007 के दौरान गुवाहाटी, कोहिमा, अगरतला और कोलकाता की उनकी यात्रा के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उससे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किया।

8. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने विशेषाधिकार समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'संसदीय विशेषाधिकार - संहिताकरण तथा संबंधित विषय' के बारे में विशेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन; और

(2) 'सभा की कार्यवाही, संसदीय समितियों से संबंधित दस्तावेजों अथवा महासचिव, लोक सभा की अभिरक्षा वाले दस्तावेजों को न्यायालयों में प्रस्तुत करने के संबंध में तथा अन्वेषण के प्रयोजनों से न्यायालयों और अन्वेषण अभिकरणों से प्राप्त अनुरोध' के बारे में विशेषाधिकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन।

9. लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव ने 'अवचार के विविध पक्ष तथा सदस्यों से अपेक्षित आचरण/व्यवहार के मानकों की मूल विशेषताएं' विषय पर लोक सभा सदस्यों के अवचार की जांच करने संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश प्रसाद सिंह ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-2009 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 209वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डा॰ करण सिंह यादव ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की "अनुदानों की मांगों (2008-2009)" के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन;

(2) आयुष विभाग की "अनुदानों की मांगों (2008-2009)" के बारे में समिति का 28वां प्रतिवेदन; और

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की "अनुदानों की मांगों (2008-2009)" के बारे में समिति का 29वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—

(एक) उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 193वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) ग्रामीण विकास मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) की स्थिति; और

(दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के पहले, पांचवें, चौदहवें और उन्नीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4)विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित विशेष आर्थिक जोन के कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 83वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5)कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

13. **संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 5 मई, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.56 बजे

14. **लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव**

श्री मधुसूदन मिस्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय मानसून सत्र, 2008 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.57 बजे

15. **सरकारी विधेयक — पारित**

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री प्रफुल्ल पटेल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.05 *बजे पुन: समवेत हुई*)

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
(2) श्री एस.के. खारवेनथन
(3) श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन
(4) श्री सुधांशु सील
(5) श्री शैलेन्द्र कुमार
(6) श्री भर्तृहरि महताब
(7) श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
(8) श्री राम कृपाल यादव
(9) श्री मोहम्मद ताहिर खान
(10) कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)
(11) श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे

---

* अपराह्न 12.16 बजे से अपराह्न 12.56 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(12) श्री सी.के. चन्द्रप्पन

(13) श्री वरकला राधाकृष्णन

(14) श्री प्रभुनाथ सिंह

(15) श्री फ्रांसिस के. जार्ज

(16) श्री रतिलाल कालीदास वर्मा

(17) डा. आर. सेनथिल

(18) प्रो. रासा सिंह रावत

(19) श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु

(20) श्री कीरेन रिजीजु

(21) डा. के. एस. मनोज

(22) श्री बिक्रम केशरी देव

श्री प्रफुल्ल पटेल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 5.15 बजे

16. **सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 15 मिनट
शेष समय : 1 घंटा 45 मिनट

राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006.

श्री शंकर सिंल वाघेला ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री काशीराम राणा ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.30 बजे

17. **आधे घंटे की चर्चा**

श्री भर्तृहरि महताब ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के कार्यान्वयन के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 222 के लिए 14 मार्च, 2008 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर एक चर्चा उठाई।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.17 बजे

18. **राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 24 अप्रैल, 2008 को पारित विनियोग (संख्यांक) 2 विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 29 अप्रैल, 2008 को पारित वित्त विधेयक, 2008 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सायं 6.18 बजे

(लोक सभा सोमवार, 5 मई, 2008 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

MGIPMRND—2004LS(S5)—30-04-2008.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 05 मई, 2008/15 वैशाख, 1930 (शक)

संख्या 304

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने सुविख्यात गांधीवादी और राज्य सभा की वर्तमान सदस्या कुमारी निर्मला देशपांडे के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. **प्रश्न**

सभा के स्थगन के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत:, आज की कार्य सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 541—560 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 5262—5413 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

3. **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

सभा के नेता द्वारा अध्यक्ष से लोक सभा के 32 सदस्यों से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने संबंधी उनके निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किए जाने और विपक्ष के नेता द्वारा उनके विचारों का समर्थन किए जाने के पश्चात्, अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''मैं भविष्य में सभा को सुचारू रूप से चलाने, जोकि मेरी एकमात्र चिन्ता है, के बारे में माननीय नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। उनके अनुरोध

को ध्यान में रखते हुए, मैंने मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है और मैं इसे वापस लेता हूं।''

अपराह्न 2.04 बजे

4. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बी॰ई॰एम॰एल॰ लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (आठवां संशोधन) नियम, 2007 जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 262 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 263, जो 1 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजन से अधिसूचना में उल्लिखित व्यवसायों अथवा

विषयों के साथ व्यावसायिक परीक्षण अथवा परीक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा के लिए दो राज्य परिषदों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) उड़ीसा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 747(अ) जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई

थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) दि कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटेरीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2008 जो 28 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 115(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 279(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपयुर्क्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. **याचिका समिति के प्रतिवेदन**

श्री प्रभुनाथ सिंह ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग), कोयला और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

6. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित भू-संपदा प्रबंधन के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. **समितियों के लिए निर्वाचन हेतु विनियमों में संशोधन**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समितियों के लिए निर्वाचन कराने के लिए विनियमों के विनियम 1, 2, 4 और 6 के संबंध में अध्यक्ष द्वारा किए गए संशोधनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

8. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2008

अपराह्न 2.09 बजे

9. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा के प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डा॰ करण सिंह यादव द्वारा अलवर में पेट्रोल तथा डीजल की कीमत दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रभावी दरों के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री वी॰के॰ ठुम्मर द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धौला में एक रेल ऊपरि पुल के निर्माण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना को चालू किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री एस॰के॰ खारवेनथन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में माध्यम के रूप में तमिल, कन्नड़, मलयालम तथा तेलगु भाषाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा जयपुर में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सवाई मानसिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री दुश्यंत सिंह द्वारा रामगंजमंडीं-भोपाल रेलवे लाईन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री संतोष गंगवार द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्वीकृत रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य रेलवे में ग्वालियर-शिवपुर कलां रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती जयाबहन बी॰ ठक्कर द्वारा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के प्रस्ताव में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री ए॰वी॰ बेल्लारमिन द्वारा देश में आम पर आधारित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा पेयजल की कमी की समस्या को दूर करने के लिए संसद सदस्यों को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पांच सौ इंडिया मार्क-II हैंड़ पंप लगाने की अनुमति के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पारसनाथ यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता को सुनिविश्चत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा बिहार के बाढ़ संभावित समस्तीपुर जिले में आपदा प्रबंधन दल तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री डी॰ वेणुगोपाल द्वारा स्वर्गीय श्री सी॰एन॰ अन्नादुरई का जन्मशती वर्ष मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री अनिल शुक्ल वारसी द्वारा सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना की शर्तों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) प्रो॰ एम॰ रामदास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री सिप्पीपारई रविचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सत्तूर रेलवे स्टेशन पर नेल्लई एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री थुपस्तन छेवांग द्वारा जम्मू-कश्मीर के लेह और कारगिल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एएचडीसी) के लिए योजना सहायता के रूप में अनुपूरक निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.12 बजे

10. **विदाई संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने चौदहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 2.20 बजे

11. **राष्ट्रीय गीत**

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 2.21 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.21 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

पी॰ डी॰ टी॰ आचारी,
महासचिव।

दिनांक 15 मई, 2007 के समाचार-भाग 1
(संख्या 240) का शुद्धि-पत्र

संस्था का नाम	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख	पृष्ठ सं॰/मद सं॰	के स्थान पर	पढ़ा जाए
उजाला सोसायटी (सर्वशिक्षा अभियान), जम्मू एवं कश्मीर	15.5.2007	पृष्ठ सं॰ 5 मद सं॰ 15(एक) और (दो)	2005-2006	2003-2004

MGIPMRND—2119LS(S5)—05-05-2008.